वित्तीय शिक्षण

अभ्यास पुस्तिका

आठवीं कक्षा

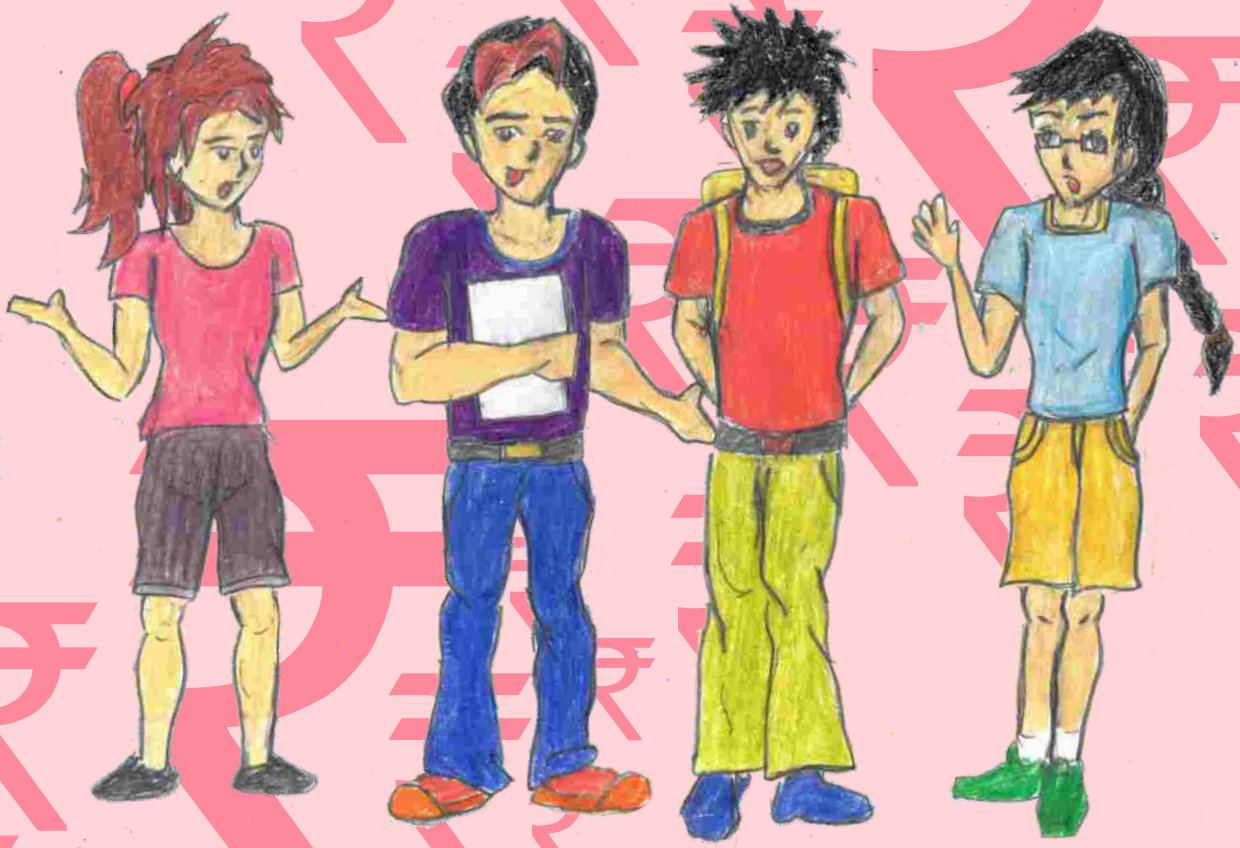

वित्तीय शिक्षण अभ्यास पुस्तिका - आठवीं कक्षा हेतु

प्रारूप संस्करण

स्पष्टीकरण

यह पुस्तक पाठक को वित्तीय मामलों के संबंध में साक्षर बनाने के निस्वार्थ प्रयोजनार्थ, अध्ययन एवं अध्यापन के लिए प्रस्तुत की जा रही है। किसी वित्तीय उत्पाद / उत्पादों या सेवा / सेवाओं के संबंध में कोई निर्णय लेने में, पुस्तक की किसी विषय–वस्तु से पाठक को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है ।

प्रकाशकः सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केंद्र, 2, सामुदायिक केंद्र
प्रीत विहार, दिल्ली–110301

रूपरेखा, विन्यानस एवं मुद्रण : राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण केंद्र हेतु
राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान
भूखण्ड सं. 82,सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई–400703
फोन : +9122-66735100 | फैक्स : +9122-66735110

वेबसाइट : ncfeindia-org

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण [1]प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा
[2]और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977) से "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 4 क

मूल कर्त्तव्य

51 क. मूल कर्त्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उंचाइयों को छू ले;

[1](ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

---

1. संविधान (छयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a [1]**SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the[2] unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

---

1. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "Sovereign Democratic Republic" (w.e.f. 3.1.1977)
2. Subs, by the Constitution (Forty-Second Amendment) Act. 1976, sec. 2, for "unity of the Nation" (w.e.f. 3.1.1977)

THE CONSTITUTION OF INDIA

Chapter IV A

FUNDAMENTAL DUTIES

ARTICLE 51A

Fundamental Duties - It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

[1](k) who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his/her child or, as the case may be, ward between age of 6 and 14 years.

---

1. Subs. by the Constitution (Eighty - Sixth Amendment) Act, 2002

भूमिका

छठी से दसवीं कक्षाओं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय शिक्षण पाठ्यक्रम की विशेषता उसकी सशक्त गतिशीलता, सतत् विकास और उन्नयन है। इस पाठ्यक्रम की रचना कार्यमूलक दृष्टिकोण को अपनाते हुए की गई है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मौजूदा परिवेश में समाज, विस्फोटक ज्ञान–सृजन और घातांक रफ्तार से बढ़ती हुई तकनीक से प्रभावित होता है।

आधारभूत वित्तीय अवधारणाओं की अपनी समझ को बेहतर बनाने और अपने दैनिक जीवन में इन अवधारणाओं का समुचित उपयोग करने के लिए हमें वित्तीय शिक्षण की आवश्यकता है। हमें विभिन्न वित्तीय उत्पादों को जानने और वित्तीय जोखिमों एवं अवसरों से अधिकाधिक परिचित रहने की जरूरत है ताकि हम सभी सुविज्ञ निर्णय ले सकें और उसके परिणामस्वरूप अपने वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार कर सकें।

वित्तीय शिक्षण का दर्शन यह है कि विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुरूप जीवन में धन की भूमिका, बचत की जरूरत और उपयोग, अपनी बचतों को निवेशों में रूपान्तरित करने, बीमा के माध्यम से सुरक्षा हेतु औपचारिक वित्तीय प्रणाली तथा विभिन्न विकल्पों का प्रयोग करने की समझ प्राप्त कर सकें और वे इन विकल्पों की विशेषताओं के वास्तविक महत्व को जान सकें।

वित्तीय शिक्षण से हमें, बचत के महत्व और उसके लाभों, ऐसे अनुत्पादक ऋणों से दूर रहने की आवश्यकता जो हमारी चुकाने की सामर्थ्य के बाहर हों, औपचारिक वित्तीय प्रणाली से उधार लेने, ब्याज की अवधारणा, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव, धन के समय–मूल्य, मुद्रा–स्फीति, बीमा की आवश्यकता, वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख संस्थानों जैसे मंत्रालयों, विनियामकों, बैंकों, शेयर बाजारों एवं बीमा कंपनियों की भूमिका और जोखिमों तथा पुरस्कारों के बीच संबंध की संकल्पना के बारे में अधिकाधिक जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी।

इसके माध्यम से हम विभिन्न वित्तीय विनियामकों द्वारा प्रदत्त वित्तीय उत्पादों तथा सेवाओं का समुचित मूल्यांकन कर धन का कारगर ढंग से प्रबंध करके स्वयं की और दूसरों की मदद कर सकते हैं।

वित्तीय शिक्षण विशेष रूप से उन लोगों के लिए मददगार होगा जो अभी वित्तीय सेवाओं से वंचित हैं।

इस अभ्यास पुस्तिका का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की उपलब्धता तथा उनकी विशेषताओं के संबंध में विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करना और वित्तीय सेवाओं के ग्राहक के रूप में उनके अधिकारों एवं दायित्वों को समझाना है।

यह विषय पढ़ाने वाले अध्याकपकों को, अपने छात्रों को इसका लाभ देने के लिए पाठ्य–विषय के कारगर उपयोग, अध्यापन पद्धति, समूह कार्य एवं स्वतंत्र व्यक्तिगत कार्य के प्रबंधन, बड़ी कक्षाओं की व्यवस्था, मूल्यांकन प्रणाली के समुचित प्रयोग, ग्रेड प्रदान करने और अभिलेख प्रबंध के बारे में स्वयं को अवगत कराने की आवश्यकता है।

इस पुस्तक के रचना कार्य में साझीदारों – भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा भारतीय पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का, उनके बहुमूल्य समय और प्रयासों के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

पुस्तक का प्रस्तुतीकरण निश्चित रूप से सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवोन्मेष), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और श्री संदीप सेठी, शिक्षण अधिकारी एवं उनकी टीम के नेतृत्व, निष्कपट प्रयासों तथा सत्यनिष्ठा के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। पुस्तक के संबंध में सुझावों का स्वागत है, जिन्हें आगामी संस्करणों में शामिल किया जा सकता है।

अभार

परामर्श समिति

श्री वाई. एस. के. सेषु कुमार, अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सुश्री सुगंध शर्मा, अपर निदेशक (अनुसंधान एवं नवोन्मेष), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
श्री डी. टी. सुदर्शन राव, संयुक्त सचिव तथा प्रभारी, (शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) परामर्श समिति

श्री संदीप घोष, निदेशक, रा. प्रति. बा. सं.,
श्री जी. पी. गर्ग, रजिस्ट्रार, एनआईएसएम तथा प्रधान, एनसीएफई
श्री ज्ञानभूषण, कार्यपालक निदेशक, सेबी
श्री ए. जी. दास, मु. महा प्रबं., पीएफआरडीए
श्री टी वी राव, महाप्रबंधक, भा रि बैं
सुश्री केजीपीएल रमादेवी, उपनिदेशक, भा. बी. वि. और वि. प्रा.
डा. मीनू नंदराजोग, प्रोफे., एनसीईआरटी
श्री संदीप सेठी, शिक्षा अधिकारी, सीबीएसई
सुश्री पूनम सोढ़ी, उप सचिव, सीआईएससीई

निगरानी और संपादन बोर्ड

सुश्री शर्मिला रहेजा
डॉ. पारुल पाठक
सुश्री दिशा ग्रोवर
श्री श्रेय रहेजा
सुश्री सरीना पी. यू.
सुश्री रेशू सिंहल
सुश्री सौदामिनी अरविंद
श्री संदीप के बिस्वाल
सुश्री रेनू आनंद

विद्यालयों का दल (सामग्री उत्पाादन)

केंब्रिज स्कूल, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, इंदिरापुरम, गाजियाबाद
दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा मार्ग, दिल्ली
दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्रीनगर
दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसुंधरा, गाजियाबाद
डीएलएफ पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
गुरुकुल द स्कूम, गाजियाबाद
केसरीदेवी बजाज पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद
मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा मार्ग, दिल्ली
एन. एच. गोयल वर्ल्ड स्कूल, छत्तीसगढ़
संस्कृत स्कूल, दिल्ली
सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गाजियाबाद
शिव नाडर स्कूल, नोयडा
उत्तम बालिका विद्यालय, गाजियाबाद

संकल्पना और रूपरेखा : जितेंद्र कुमार सोलंकी, एनआईएसएम
कविता : तनीशा पुरी, आर एन पोद्दार स्कूल, मुंबई
चित्रांकन : माधव गुप्ता बाल भारती स्कूल, रोहिणी, दिल्ली
लिखावट : महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, जयपुर
वर्ग पहेली, उलझे शब्द , एमसीक्यू : रेशू सिंहल, अदनान कोहली, सादिक वजीर
रिया भूयान, दिव्या अग्रवाल, वेणी गुप्ता
मयंक पुगालिया, सात्विक भट्ट, अमन सुराना
संकेत शर्मा और यथार्थ श्रीधरन

विषय–सूची

विषय	प्रसंग	पृष्ठ संख्या
इतिहास 1	बीमा – परिचय	
इतिहास 2	बीमा के प्रकार	
नागरिक शास्त्र 1	भाग 1 : बैंकों के प्रकार	
	भाग 2 : चेक	
नागरिक शास्त्र 2	टैक्स	
भूगोल 1	भाग 1 : धन अंदर और धन बाहर	
	भाग 2 : मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश	
अंग्रेजी 1	बैंक खाता कैसे खोलें	
अंग्रेजी 2	बीमा : एक कहानी	
गणित 1	मूल्य वर्धित कर/मूल्य योजित कर (वीएटी) और कर (टैक्स) में	
	क्या अंतर है	
गणित 2	भाग 1: जमा और आहरण पर्ची भरना	
	भाग 2: अपने खाते का संचालन करना	

चलो मित्रो, बीमा करा के सुरक्षित (सेफ) व्यापार करें और अपना जीवन बीमा भी कराएं।

मैं, मुनाफ, आपको एक कहानी सुना कर बीमा का सिद्धांत स्पष्ट करूँगा और यह समझाउँगा कि ईमानदारी के साथ हमें अपने करों का भुगतान क्यों करना चाहिए।

मैं, मुद्रा, आपको मूल्य योजित कर (वीएटी) और कर (टैक्स) में अंतर समझाऊँगी और विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में बताऊँगी।

मैं, राशि, आपको बताऊँगी कि बैंक खाता कैसे खोला जाता है, अपने खाते से हम कैसे धन आहरण करें और कैसे धन जमा करें। साथ ही माँग (डिमांड) ड्राफ्ट, चेक और पासबुक के संबंध में जानकारी दूँगी और यह भी बताऊँगी कि हमें अपने बैंक के रहस्य (सीक्रेट) किसी अन्य को क्यों नहीं बताने चाहिए।

वित्तीय प्रबंधन के उतार चढ़ाव

मानव जीवन में आते हैं उतार–चढ़ाव अनेक,
बीमा? क्या सेवा क्या उनकी, उनके रूप अनेक,
कैसे अपनाएं उनमें से, कोई बीमा एक विशेष।
होता है क्या बीमा का भी ऐसा कोई रूल,
पालन करना जिसे जरूरी, है नहीं करनी भूल।

कई प्रकार के बैंक हजारों, सब ही खींचें अपनी ओर,
क्या अंतर है, क्या समानता बाँधे सबकी डोर?
चेकों पर आईएफएससी, कोड माइकर और भी चिह्न अनेक,
'कर' नहीं देते आज अगर हम, बनता है क्या यह अपराध एक।
कर्तव्य वित्त का पालन कर क्या बन जाएंगे व्यक्ति विशेष।

चलो चलेंगे आज बैंक हम, लेकर अपनी साइकल,
जमा, आहरण पर्ची भरना काम नहीं है मुश्किल।
जैसा पाठ पढ़ाया, सीखें, अलग–थलग मत रहिए,
बिना ज्ञान हम रिक्त, सुसंगति, ज्ञान अद्यतन रखिए।

गहन अध्ययन, अपना ध्यान, हों कल के लिए तैयार,
कपट न कोई बेईमानी, दावा कर, लेंगे अधिकार।
शब्द कोई भी यहाँ लिखा हो, क्लीयर आशय करें सुनिश्चित,
महत्वपूर्ण हो या साधारण, अवधारणा हो जाए स्पष्ट।

सातवीं कक्षा का पुनरावलोकन

कार्य

- मौद्रिक प्राधिकारी
- मुद्रा निर्गमकर्ता
- सरकार का बैंकर और ऋण प्रबंधक
- बैंकों का बैंकर
- वित्तीय स्थिरता कायम रखना
- विकासकारी भूमिका

नियंत्रण

- सरकारी क्षेत्र में बैंक
- निजी क्षेत्र के बैंक
- विदेशी बैंक
- सहकारी बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक खातों के प्रकार

- चालू खाता
- बचत बैंक खाता
- आवर्ती जमा खाता
- नियतावधि जमा खाता

बैंकिंग हमारी सुविधानुसार

याद करो?
तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग

कैसे?

मैं साधारण ब्याज की गणना कैसे करूँ

साधारण ब्याज = मूलधन x ब्याज दर x समय

यह थी सातवीं कक्षा

अब हम आपको आठवीं कक्षा में ले चलेंगे
हम और बहुत कुछ सीखेंगे

वाह! खूब मजे से सीखेंगे

विषय : इतिहास
कक्षा : आठ
सत्र : 1

बीमाः परिचय

शब्दावली

बीमा बीमा, वास्तव में, बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार है। किसी निमित्त अथवा लिहाज (प्रीमियम) के बदले में बीमा कंपनी बीमाकृत व्यक्ति को या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, कोई विशिष्ट घटना हो जाने पर एक विशिष्टि धनराशि अदा करने का वचन देती है।

बीमाकृत वह व्यक्ति या वस्तु, जिसका बीमा किया गया है।

बीमाकर्ता वह बीमा कंपनी, जो वित्तीय हानि को कवर करने/उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति से निमित्त या लिहाज के रूप में प्रीमियम प्राप्त करती है, बीमाकर्ता कहलाती है।

जीवन बीमा मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई आकस्मिकताओं जैसे मृत्यु, अक्षमता दुर्घटना, कार्य निवृत्त आदि के लिए वित्तीय कवर या वित्तीय आड़ या वित्तीय सुरक्षा।

नामित पॉलिसी धारक द्वारा, उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी का फायदा प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति।

बीमा अवधि वह अवधि, जिसके लिए बीमा पॉलिसी वित्तीय सुरक्षा या वित्तीय कवर प्रदान करती है अर्थात् पॉलिसी की अवधि।

बीमा राशि वह राशि, जो किसी विशिष्ट घटना के कारण हुई हानि/क्षति के मामले में बीमाकर्ता बीमाकृत को देने के लिए बाध्य हो।

भारत में बीमा का इतिहास

भारत में बीमा का बहुत पुराना इतिहास है। मनु (मनुस्मृति), याज्ञवल्कि (धर्मशास्त्र) और कौटल्य (अर्थशास्त्र) के ग्रंथों में इसका वर्णन है। इन ग्रंथों में कुछ ऐसे संसाधन एकत्र करने का वर्णन किया गया है, जिन्हें संकट जैसे आग लगने, बाढ़, महामारी और अकाल के समय वितरित किया जा सकता था। संभवतः यह आधुनिक युग के बीमा का अग्रदूत था। प्राचीन भारतीय इतिहास में समुद्र व्यापार ऋण और संवाहकों की संविदाओं के रूप में बीमा के प्राचीनतम अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। भारत में बीमा का विकास धीरे–धीरे, अधिकांशतः अन्य देशों की, विशेषकर इंगलेंड की कंपनियों द्वारा हुआ। वर्ष 1818 में कलकत्ता में ओरियंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ भारत में बीमा व्यवसाय का उदय हुआ। परंतु वर्ष 1934 में यह कंपनी नाकाम हो गई। वर्ष 1829 में मद्रास ईक्वीटेबल ने मद्रास प्रेसीडेंसी में जीवन बीमा व्यवसाय करना प्रारंभ किया। वर्ष 1870 में ब्रिटिश बीमा अधिनियम बना और उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में बॉबे रेजीडेंसी में द बॉबे म्यूचुअल (1871) ओरियंटल (1874) तथा एम्पायर ऑफ इंडिया (1897) कंपनियाँ शुरू हुईं। इस युग में यद्यपि विदेशी बीमा कार्यालयों जैसे अलबर्ट लाइफ ऐश्योरेंस, रॉयल इंश्योरेंस, लिवरपूल एण्ड लंडन ग्लोब इंश्योरेंस का प्रभुत्व था, जो भारत में अच्छा व्यापार कर रहीं थीं और भारतीय बीमा कम्पनियों को इन विदेशी कम्पनियों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ा।

वर्ष 1914 में भारत सरकार ने भारत में बीमा कंपनियों की विवरणियाँ प्रकाशित करना आरंभ किया। द इंडियन

लाइफ ऐश्योरेंस कंपनीज एक्ट (भारतीय जीवन आश्वासन कंपनी अधिनियम), 1912 भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को विनियमित करने वाला पहला कानूनी उपाय था। वर्ष 1928 में द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट (भारतीय बीमा कंपनी अधिनियम) बना ताकि भारत सरकार द्वारा, प्रॉविडेंट इंश्योरेंस सोसाइटीज (भविष्य बीमा समितियों) सहित भारतीय और विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा भारत में किए जा रहे जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा व्यवसाय के बारें में सांख्यिकीय सूचना प्राप्तर की जा सके। बीमा कराने वाली जनता के हितों की रक्षा करने के लिए बीमाकर्ताओं के कार्यकलापों पर कारगर नियंत्रण हेतु पहले के कानून को व्यापक प्रावधानों के साथ वर्ष 1938 में समेकित कर बीमा अधिनियम, 1938 के द्वारा संशोधित किया गया।

वर्ष 1950 के बीमा संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रमुख अभिकर्ताओं (प्रिंसिपल एजेंसीज) को समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद बीमा कंपनियों की संख्या बहुत अधिक थी और स्पर्धा का स्तर बहुत ऊँचा था। इसके अलावा अनुचित व्यवसाय पृथाओं की शिकायतें भी आ रहीं थीं। इसलिए भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया।

19 जनवरी 1956 को एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके द्वारा जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उसी वर्ष जीवन बीमा निगम अस्त्वि में आया। जीवन बीमा निगम में 154 भारतीय, 16 गैर भारतीय बीमाकर्ताओं और 75 प्रॉविडेंट समितियों को अर्थात् कुल 254 भारतीय और विदेशी बीमाकर्ताओं को समाहित किया गया । नब्बे के दशक के अंत तक जीवन बीमा निगम का एकाधिकार रहा और उसके बाद बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए फिर से खोल दिया गया।

पश्चिम में साधारण बीमा का इतिहास औद्योगिक क्रांति और उसके बाद 17वीं शताब्दी में समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार एवं वाणिज्य में हुई वृद्धि के समय का है। भारत में यह ब्रिटिश आधिपत्य की विरासत के रूप में आया। भारत में साधारण बीमा की जड़ें वर्ष 1850 में अंग्रेजों द्वारा ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ जुड़ी हैं। वर्ष 1907 में इंडियन मर्कंटाइल इंश्योरेंस की स्थापना हुई। यह साधारण बीमा के सभी प्रकार के व्यापार करने वाली पहली कंपनी थी।

भारतीय बीमा संघ की एक शाखा के रूप में वर्ष 1957 में साधारण बीमा काउंसिल का गठन हुआ। साधारण बीमा काउंसिल ने उचित आचरण और स्वस्थ व्यावसायिक पृथाएं सुनिश्चित करने के लिए आचरण संहिता बनाई।

निवेशों को विनियमित करने और न्यूनतम संपन्नता सीमा/न्यूनतम शोधनक्षमता सीमा नियत करने के लिए वर्ष 1968 में बीमा अधिनियम में संशोधन किया गया। उसके बाद प्रशुल्क सलाहकार समिति का भी गठन किया गया।

वर्ष 1972 में साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के पारित होने के साथ 1 जनवरी 1973 से (सामान्य) साधारण बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो गया। 107 बीमाकर्ताओं का समामेलन कर दिया गया और उन्हें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया ऐश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नाम की चार कंपनियों में बाँट कर समूहित किया गया। भारतीय साधारण बीमा निगम को वर्ष 1971 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया और 01 जनवरी 1973 से उसने अपना व्यवसाय आरंभ किया।

यह सहस्राब्दी बीमा के लगभग 200 वर्षों के एक पूर्ण यात्रा–चक्र की प्रत्यक्षदर्शी है। इस क्षेत्र को फिर से खोलने की प्रक्रिया बीसवीं शताब्दी के नब्बें के दशक के शुरूआती वर्षों में आरंभ हुई और पिछली दशाब्दी में यह क्षेत्र भरपूर खुल गया था। बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिशों का प्रस्ताव करने के लिए सरकार ने वर्ष 1993 में श्री आर एन मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उक्त समिति गठित करने का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में प्रारंभ किए गए सुधारों को पूर्ण करना था। उक्त समिति ने वर्ष 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बीमा उद्योग को निजी क्षेत्र में व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान करने की सिफारिश की गई। इसमें कहा गया कि विदेशी कंपनियों के इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति, भारतीय कंपनियों को प्रायोजित करते हुए – प्राथमिकता के तौर पर भारतीय साझीदारों के साथ एक संयुक्त उद्यम प्रवर्तित करते हुए, प्रदान की जानी चाहिए।

मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में बीमा उद्योग का विनियमन और विकास करने के लिए वर्ष 1999 में

गया। अप्रैल 2000 में आईआरडीएआई को एक कानूनी (विधिक) संस्था के रूप में निगमित किया गया। आईआरडीएआई के मुख्य उद्देश्यों में बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्पर्धा बढ़ाना है ताकि ग्राहकों की पसंद के अधिकाधिक विकल्पों और कम प्रीमियम राशि के द्वारा ग्राहक संतुष्टि प्रदान की जा सके।

आईआरडीएआई ने पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करते हुए इस बाजार को अगस्त 2000 में खोल दिया। विदेशी कंपनियों को 26 प्रतिशत तक के स्वामित्व की अनुमति दी गई थी। इस प्राधिकरण को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 के अंतर्गत विनियम बनाने का अधिकार है और वर्ष 2000 से प्राधिकरण ने बीमा व्यवसाय चलाने के लिए कंपनियों के पंजीकरण से लेकर पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए विनियम बनाए हैं।

भारतीय साधारण बीमा निगम की सहायक संस्थाओं का स्वतंत्र कंपनियों के रूप में दिसंबर 2000 में पुनर्गठन किया गया और साथ ही भारतीय साधारण बीमा निगम को राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में परिवर्तित किया गया। संसद ने उक्त चार सहायक संस्थाओं को भारतीय साधारण बीमा निगम से अलग करते हुए, जुलाई 2002 में एक बिल पारित कर दिया। मार्च 2014 तक भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम और भारतीय कृषि बीमा निगम सहित भारत में 28 साधारण बीमा कंपनियाँ और 24 जीवन बीमा कंपनियाँ कार्यरत थीं।

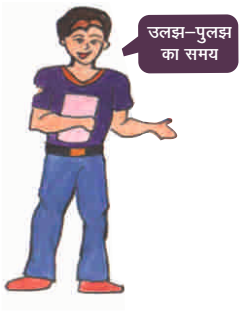

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
मखिजो	ऐसी कोई घटना या परिस्थिति, जो नुकसानदायक और हानिकारक हो	
र्डश्योइं	बीमा सुरक्षा के अंतर्गत शामिल व्यक्ति या वस्तु	
माबी	पहले से अप्रत्याशित जोखिमों लिए सुरक्षा प्रदान करता है।	
धिअव सीपॉलि	वह अवधि जिसके लिए पॉलिसी खरीदी जाती है।	
जीबी नवमा	मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई आकस्मिकताओं के लिए वित्तीय कवच या वित्तीय आड़ या वित्तीय सुरक्षा।	

1. साधारण बीमा व्यवसाय का .....से राष्ट्रीयकरण हुआ था।

   क) 1 जनवरी 1970 ख) 1 जनवरी 1971
   ग) 1 जनवरी 1972 घ) 1 जनवरी 1973

2) आईआरडीएआई को वर्ष ..... में एक विधिक संस्था के रूप में निगमित किया गया।

   क) अप्रैल 2000 ख) जुलाई 2000
   ग) अप्रैल 2001 घ) जुलाई 1999

विषय : इतिहास
कक्षा : आठ
सत्र : 2

बीमा के प्रकार

भूमिका

दुनियाँ में हर किसी के लिए जोखिम और अनिश्चितताएँ हैं। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और संपत्तियाँ सभी जोखिमों से घिरे हुए हैं। ये जोखिम प्राकृतिक हो सकते हैं या फिर मानव निर्मित, जिनसे वित्तीय हानि होती है। बीमा कुछ लोगों की हानियों को अधिक लोगों द्वारा बाँट लेने की प्रक्रिया है, जिससे विभिन्न प्रकार के जोखिमों द्वारा हुई हानि या हानि का प्रभाव कम हो जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत हानियों की पूर्ति करने के लिए निधियाँ संचित की जाती हैं, जिनका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए निवेश किया जाता है। यद्यपि बीमा से अवांछित घटनाएं या उनसे हुई हानि होने से रोकी नहीं जा सकती हैं, परंतु यह पॉलिसी धारक को हानि की वचनबद्ध राशि की क्षतिपूर्ति करके उसे सुरक्षा प्रदान करता है।

बीमा व्यवसाय संपत्तियों अर्थात् आस्तियों के मूल्य की रक्षा करने से संबंधित है। आस्ति का सृजन उसके मालिक के प्रयासों से होता है। कुछ अन्य स्वरूप में यथा आवासीय मूल्य के कारण आस्तु। बहुत मूल्य वान होती है। किसी फैक्टरी या किसी व्यवसाय या किसी फसल के मामले में, जो उत्पादन होता है वह बेचा जाता है और उससे आय होती है। किसी वाहन या किसी घर के मामले में वह आराम और सुविधा पदान करता है। इस प्रकार ये दोनों ही आस्तियाँ हैं और फायदे प्रदान करती हैं। प्रत्येक आस्ति के कुछ समयावधि के लिए टिके रहने की आशा होती है, जिस दौरान वह फायदे उपलब्ध कराएगी। उसके पश्चात यह संभव है कि उक्त फायदा उपलब्ध नहीं हो। परंतु वह आस्ति किसी दुर्घटना के कारण समाप्त या किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के द्वसरा विनष्ट हो सकती है, जिससे उसके फायदे मिलना बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि पहले से आयोजित स्थानापन्न (सबस्टीट्यूट) वस्तु उस समय तक तैयार न हो पाए। बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रभाव कम करती है। यदि हानि होती है तो बीमा उक्त आस्ति के मालिक या हिताधिकारी को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का वचन देता है।

बीमा के प्रकार

जीवन बीमा

जीवन बीमा एक बीमाकृत और एक बीमाकर्ता के बीच संविदा है, जिसमें बीमाकर्ता, एक प्रीमियम के बदले में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, बीमाकृत व्यक्ति के नामिती को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करता है।

जीवन बीमा पॉलिसियाँ आपके परिवार को संरक्षण का वचन देती हैं और उस समय भी उनके भविष्य को निश्चिंत बनाती हैं, जब उनकी देख–रेख करने के लिए आप उनके आस–पास नहीं होते हैं। अपने परिवार में आप यदि आजीविका अर्जन करने वाले मूल व्यक्ति हैं तो आपकी अकाल मृत्यु के परिणाम स्वरूप आपके परिवार को आय की जो क्षति होगी वह एक गंभीर क्षति होगी और आपको ऐसी कठिनाइयों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एक बीमा पॉलिसी खरीदना यह सुनिश्चित करता है कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को बीमा राशि की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है।

यात्रा बीमा

यात्रा बीमा का उद्देश्य अंतर्देशीय या अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान हुए चिकित्सीय उपचार, वित्तीय चूक एवं अन्य हानियों की पूर्ति करना है।

गृह बीमा

गृह बीमा हमारे घर के लिए पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा घर और अन्य घरेलू आस्तियाँ मूल्यवान होती हैं और इसलिए अप्रत्याशित घटनाओं से अपने घर को सुरक्षित रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसे सर्वाधिक विश्वस्त संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इस बीमा में भवन बीमा और अंतर्वस्तु बीमा दोनों ही आते हैं। सामान्य रूप से इसमें आग, खराब मौसम, प्राकृतिक विनाश और चोरी या चोरी की कोशिश के कारण हुई क्षति से आपको सुरक्षा मिलती है।

मोटर बीमा

मोटर बीमा (या वाहन बीमा) किसी दुर्घटना या चोरी के फलस्वरूप होने वाली हानि या देयताओं के लिए हमारे वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के प्रयोग से, तृतीय पक्ष के जीवन या संपत्ति की हुई क्षति या आई चोट के लिए कानूनी रूप से वाहन स्वामी उत्तरदायी होता है। इसलिए कानून प्रत्येक वाहन का तृतीय पक्ष उत्तरदायित्व बीमा होना अनिवार्य है और बिना बीमा के मोटर वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।

प्रकरण अध्ययन

सतीश और आशीष बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों विवाहित थे। सतीश का एक बेटा था, जो एक प्ले स्कूल में पढ़ता था और आशीष की एक साल की एक बेटी थी। एक दिन कार्यालय से गाड़ी चला कर घर आते समय सतीश की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और घटना स्थल पर ही सतीश की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी का तो जीवन उजड़ गया। वह सोच नहीं पा रही थी कि वह अपने बच्चे का कैसे पालन पोषण करे। अपने दोस्त के परिवार को इस प्रकार वित्तीय संकट में देखकर आशीष ने निर्णय लिया कि यही समय है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जाने की परिस्थिति में अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बीमा पॉलिसी ले ली जाए।

क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि आशीष किस प्रकार का बीमा लेगा ?

प्रकरण अध्ययन

सूरज की धूप से खिले–खिले एक खूबसूरत दिन रोशनी राजमार्ग (हाई वे) पर गाड़ी चला रही थी। वह अपने मित्रों के साथ दोपहर का भोजन कर के खरीदारी के लिए जा रही थी। वह एक किनारे की ओर मुड़ी और सामने आने वाली कारों के कारण उसे अपनी गाड़ी धीमी करनी पड़ी। जैसे ही उसके सामने वाली गाड़ी हटना शुरू हुई, उसने अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ाया परंतु किसी अज्ञात कारणवश उसका ध्यान हटा और अगली बात जो उसे याद थी वह यह थी कि उसकी कार को रुकने के लिए बाध्य होना पड़ा और उसके सामने वाली कार उछली तथा उसने काँच टूटने की आवाज सुनी। उसकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसने बीमा कंपनी को फोन किया और कंपनी ने कार की मरम्मत के खर्चों का पूरा भुगतान किया।

आप बताइए कि रोशनी का यह किस प्रकार का बीमा था ?

अभ्यास

घटना	व्यक्ति या परिवार पर प्रभाव	किस प्रकार का बीमा लागू होगा
न्यूजीलेंड में छुट्टी बिताने के दौरान परिवार के एक सदस्य की स्कीइंग दुर्घटना में टांग टूट गई		
चेन्नई में परिवार के एक सदस्य का बैग चोरी हो गया		
नई पारिवारिक कार की चोरी		
परिवार के एक सदस्य ने गाड़ी चलाते समय दूसरी कार के पिछले भाग में टक्कर मार दी		
पारिवारिक मकान क्षतिग्रस्त हो गया		
घर के सामान (टेलिविजन, गहने और डीवीडी संग्रह) की चोरी		
परिवार के एक सदस्य को जीवन जोखिम की आशंका की बीमारी जैसे कैंसर या दिल के दौरे का निदान		

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्दा	संकेत	हल
स्थ्वासय माय	चिकित्सा खर्चों की पूर्ति करने वाला बीमा	
रटमो माबी	यह, वाहन स्वामी को चोरी, क्षति से सुरक्षा देता है	
मूहस माबी	समान स्वरूप या परिस्थितियों वाले व्यक्ति समूह के लिए बीमा	

1) ..... बीमाकृत व्यक्ति के चिकित्सा उपचार और शल्य चिकित्सा के खर्चों की पूर्ति करता है:

क) स्वास्थ्य बीमा ख) यात्रा बीमा

ग) गृह बीमा घ) मोटर बीमा

2) .....दुर्घटना या चोरी के कारण हुई वित्तीय हानि और देयताओं के विरुद्ध हमारे वाहन को सुरक्षा प्रदान करता है:

क) स्वास्थ्य बीमा ख) यात्रा बीमा

ग) गृह बीमा घ) मोटर बीमा

3) .....हमारे घरों को सुरक्षा प्रदान करती है:

क) स्वास्थ्य बीमा ख) यात्रा बीमा

ग) गृह बीमा घ) मोटर बीमा

भाग 1: बैंकों के प्रकार

बैंक क्या है?

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंकिंग का अर्थ उधार देने, निवेश करने के प्रयोजनार्थ जनता से धन की जमाराशियाँ स्वीकार करना है, जो मांग करने या अन्य किसी प्रकार से चुकाई जाएंगी और उन्हें चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार से आहरित किया जा सकता है।

अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक

मोटे तौर पर भारत में बैंकों को अनुसूचित और गैर अनसूचित बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। एक अनुसूचित बैंक वह है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया हो और निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो:

क) उसकी प्रदत्त पूँजी और संचित धनराशियाँ रु.5 लाख हैं। वह रिजर्व बैंक को यह आश्वासन देता है कि उसके परिचालन, जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारी नहीं हैं।

ख) वह कोई निगम या कोई सहकारी समिति है और कोई साझेदारी अथवा किसी एकल मालिक की फर्म नहीं है।

वे बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं हैं, वे गैर–अनुसूचित बैंक हैं।

हमारे यहाँ अनेक प्रकार के बैंक हैं। आइए हम उन्हें एक–एक कर समझें।

बैंक के प्रकार

बैंकों को उनके कार्यों, स्वामित्व, अधिवास आदि के आधार पर अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

1) **वाणिज्यिक बैंक**

वाणिज्यिक बैंक अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों होते हैं, जो सभी प्रकार का बैंकिंग व्यापार जैसे व्यापार एवं वाणिज्यिक का वित्तपोषण करने का कार्य करते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी, निजी क्षैत्र के बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में विभिन्न समूहों में रखा गया है।

2) **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, विशेष रूप से लघु एवं सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों, शिल्पाकारों और लघु उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने के में मदद करने के लिए की गई थी। स्थानीय स्तर की संस्थाएं होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि एवं ग्रामीण ऋण वितरित करने में अहम भूमिका सौंपी गई थी।

3) सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों को, उनके परिचालन क्षेत्र के आधार पर आगे ग्रामीण सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंकों में वर्गी्कृत किया गया गया है।

क) ग्रामीण सहकारी बैंक

कृषि ऋण की आवश्यकताएं, उद्योग और व्यापार ऋण की आवश्यकताओं से भिन्न हैं। कृषि को निम्नलिखित प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती हैः

- बीज, खाद तथा अन्य निविष्टियाँ (इनपुट) खरीदने हेतु अल्पावधि ऋण
- भूमि खरीदने, भूमि में स्थाई सुधार करने के लिए कृषि मशीनरी, एवं उपकरण खरीदने आदि के लिए दीर्घावधि ऋण। भारत में ग्रामीण सहकारी बैंकों की कृषि हेतु वित्त प्रदान करने में बड़ी भूमिका है।

ग्रामीण सहकारी ढांचे को अल्पावधि और दीर्घावधि दो भागों में विभाजित किया गया है। अल्पावधि सहकारी ढांचा एक त्रिस्तरीय ढांचा है, जिसमें शीर्ष (राज्य) स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) मध्य स्तर पर और भू स्तर (ग्रामीण स्तर) पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) हैं। अल्पावधि ढांचा मुख्यतया कृषि की विभिन्न अल्पावधि तथा मध्यावधि उत्पादन और विपणन की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

दीर्घावधि सहकारी ढांचे में शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) होते हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य कृषि की दीर्घावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

ख) शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी)

शहरी सहकारी बैंक, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में समाज के मध्य आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय समूहों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक

देश का केंद्रीय बैंक वह शीर्ष संगठन है, जो देश की मौद्रिक एवं ऋण प्रणाली का नियंत्रण, विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। केंद्रीय बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में करेंसी नोटों का प्रबंध एवं निर्गम, भारत सरकार के बैंकर तथा ऋण प्रबंधक, बैंकों के बैंकर, राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय करेंसी की संचित राशियों के अभिरक्षक, अंतिम आश्रय के उधारदाता, केंद्रीय समाशोधन, निपटान एव अंतरण के बैंक और ऋण नियंत्रक के कार्य हैं।

स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण

स्वामित्व के आधार पर बैंकों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः

क) सरकारी क्षेत्र के बैंक

ये सरकार के स्वामित्व और उसके द्वारा नियंत्रित बैंक हैं। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस श्रेणी में आते हैं।

ख) निजी क्षेत्र के बैंक

ये बैंक निजी (प्राइवेट) व्यक्तियों या निगमों के स्वामित्व के बैंक होते हैं। सरकार या सहकारी समितियों का इन बैंकों पर स्वमित्व नहीं होता हैं।

ग) सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों का परिचालन, सहकारिता की पद्धति पर किया जाता है। भारत में सहकारी ऋण संस्थाओं का गठन सहकारी समितियाँ कानून के अंतर्गत किया जाता है और ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

अधिवास के आधार पर वर्गीकरण

अधिवास के आधार पर बैंकों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) घरेलू बैंक

इन बैंकों का पंजीकरण एवं निगमन देश में किया गया है।

ख) विदेशी बैंक

मूलतः ये विदेशी बैंक हैं और उनका प्रधान कार्यालय उनके मूल के देशों में होता है (उदाहरणार्थ सिटी बैंक)

1) वे बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं, ... के नाम से जाने जाते हैं।

   क) अनुसूचित बैंक ख) गैर अनुसूचित बैंक

   ग) वाणिज्य बैंक घ) विकास बैंक

2) ..... सभी प्रकार का बैंकिंग व्यापार, सामान्यतः व्यापार और वाणिज्य का वित्तपोषण करते हैं।

   क) अनुसूचित बैंक ख) गैर अनुसूचित बैंक

   ग) वाणिज्य बैंक घ) विकास बैंक

3) ..... को कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने की अहम भूमिका सौंपी गई थी।

   क) अनुसूचित बैंक ख) गैर अनुसूचित बैंक

   ग) वाणिज्य बैंक घ) विकास बैंक

4) ..... बैंक सरकार के स्वामित्व के और उसके द्वारा नियंत्रित बैंक हैं।

   क) सरकारी क्षेत्र के ख) निजी क्षेत्र के

   ग) केंद्रीय घ) विनिमय

5) मूलतः विदेशी बैंक हैं और उनका प्रधान कार्यालय उनके मूल के देशों में होता है

   क) अमेरिकन बैंक ख) विदेशी बैंक

   ग) घरेलू बैंक घ) राज्य बैंक

भागः 2 चेक

चेक वह दस्तावेज है, जिसके द्वारा किसी बैंक खाते से धन के भुगतान का आदेश दिया जाता है।

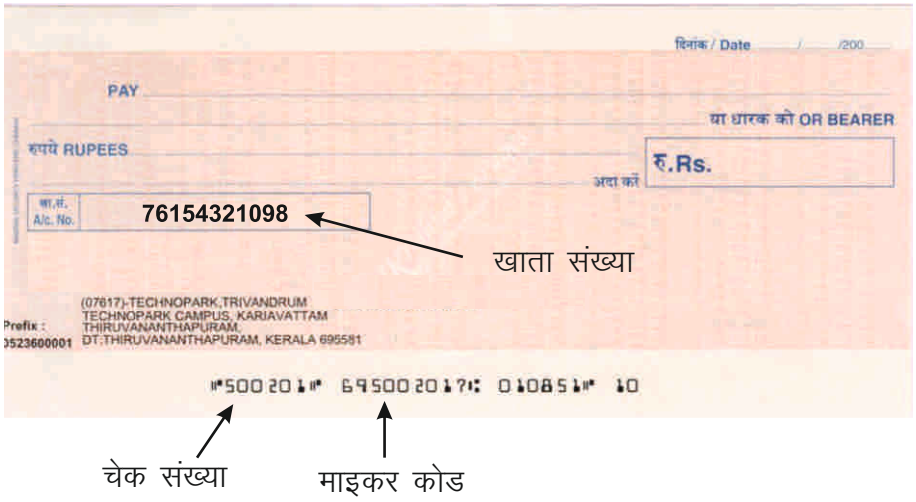

आपके चेक पर निम्नलिखित सूचना छपी हुई होगी :

1. आपकी व्यक्तिगत सूचनाः नाम
2. आपके बैंक की सूचनाः नाम, पता, शहर, राज्य एवं पिन कोड
3. ''चेक संख्या''। चेक बुक में चेक, एक क्रम संख्यानुसार लगे होते हैं। यह संख्या सदैव नोट की जानी चाहिए ताकि आप स्थिति से अवगत रह सकें।
4. दूसरी संख्या एमआईसीआर (माइकर) संख्या है। एमआईसीआर का पूरा नाम मेगनेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, जिससे चेक को वहाँ भेजने में मदद मिलती है, जहाँ उस चेक की निधियाँ है। उसका प्रयोग आपके धन का दक्षता पूर्वक अंतरण करने के लिए किया जाता है।
5. तीसरी संख्या बैंक में रखे गए आपके खाते की संख्या है।
6. अंतिम संख्या यह प्रकट करती है कि आपका खाता चालू खाता है या बचत खाता। इससे शहर के बाहर के चेकों को शीघ्र प्रसाधित (प्रोसेस) करने में मदद मिलती है।

माइकर कोड क्या है ?

- मेगनेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन या माइकर एक अंक पहचान प्रौद्योगिकी है, जिसका प्रयोग मुख्यतया चेक प्रसाधन प्रक्रिया में सुविधा प्रदान करने में किया जाता है।
- माइकर अंक चुंबकीय स्याही या टोनर से, आमतौर पर, जिसमें आइरन ऑक्साइड होता है, एक विशेष टाइप रूप में मुद्रित किए जाते हैं। इन अंकों को पढ़ने के लिए, जिन्हें व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं, एक विशेष मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये अंक आमतौर पर चेक की सबसे नीचे की पट्टी पर मुद्रित होते हैं।
- माइकर कोड का प्रयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखा और बैंक की पहचान के लिए किया जाता है। प्रत्येक बैंक का अपना एक अद्वितीय माइकर कोड होता है। माइकर कोड में नौ अंक होते हें, जो शहर, बैंक और शाखा कूट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1. शहर कूटः पहले तीन अंक उस शहर की पहचान होते हैं, जहाँ आपका बैंक खाता है।
2. बैंक कूटः अगले तीन अंक उस शहर विशेष में आपके बैंक की पहचान होते हैं।
3. अंतिम तीन अंक बैंक की शाखा को प्रदर्शित करते हैं।

आईएफएससी क्या है ?

भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (जिसे आइएफएससी भी कहा जाता है), उस बैंक की शाखा की पहचान के लिए 11 अंकों की कूट संख्या है, जहाँ पर खाता है। आइएफएससी कूट का प्रयोग एन.ई.एफ.टी. (NEFT) और आरटीजीएस (RTGS) दोनों प्रकार के निधि अंतरण के लिए किया जाता है।

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
कासरीर त्रक्षे केकबैं	सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण के बैंक	
औकगिद्यो कबैं	निवेश बैंक के नाम से भी ज्ञात, उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।	
मनियवि कबैं	विदेशी मुद्रा का व्यासपार करते और विदेश व्यापार का वित्तपोषण करते हैं।	
जीनि त्रक्षे केकबैं	निजी व्यक्तियों के स्वामित्व और नियंत्रण के बैंक	
लूरेघ कबैं	देश के अंदर पंजीकृत एवं निगमित बैंक	
तसूनुअचि कबैं	भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में शामिल बेंक	

1) .....वह दस्तावेज है, जिसके द्वारा किसी बैंक खाते से धन के भुगतान का आदेश दिया जाता है।

क) डिमांड ड्रॉफ्ट ख) नियत जमाराशि
ग) चेक घ) डेबिट कार्ड

2) ..... से चेक को वहाँ भेजने में मदद मिलती है, जहाँ उस चेक की निधियाँ है।

क) माइकर कोड ख) आईएफएससी कोड
ग) खाता सं. घ) चेक सं.

3) ..... उस बैंक की शाखा की पहचान के लिए 11 अंकों की कूट संख्या है, जहाँ पर खाता है।

क) माइकर कोड ख) आईएफएससी कोड
ग) खाता सं. घ) चेक सं.

विषय : नागरिक शास्त्र
कक्षा : आठ
सत्र : 2

मैं अपनी आय सरकार को क्यों दूँ ?

करों के प्रकार

प्रत्यक्ष कर

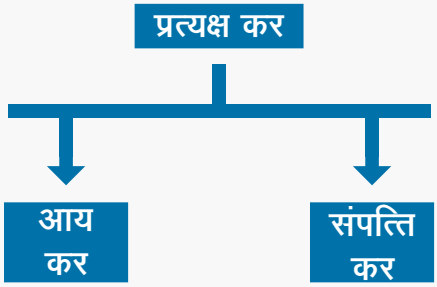

अप्रत्यक्ष कर

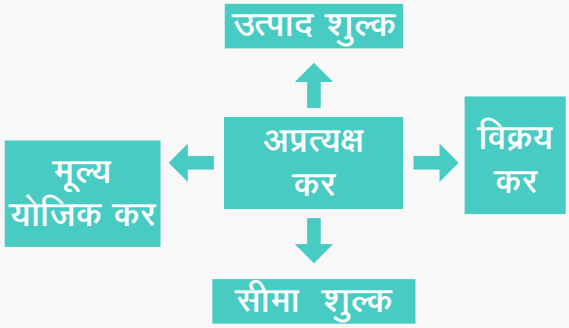

आय कर

आय कर व्यक्तियों या संस्थाओं (करदाता) पर सरकार द्वारा लगाया गया वह कर है, जो कर दाता की आय या लाभ (कर योग्य) के अनुसार परिवर्तनशील होता है।

संपत्ति कर

संपत्ति कर या 'गृह कर' भूमि सहित भवनों पर लगाया जाने वाला कर है। यह कर उक्त भूमि या भवन के स्वामी द्वारा देय होता है। यह कर उस स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाता है, जहाँ सम्पत्ति स्थित होती है।

सीमा शुल्क

सीमा शुल्क वह अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में आयातित या भारत से निर्यात हुए सामान पर लगाया जाता है। भिन्न–भिन्न प्रकार की वस्तुओं और क्षेत्रों के लिए अलग–अलग नियम होते हैं। सरकार इन करों की दरों में परिवर्तन करती रहती है ताकि विशेष प्रकार के सामान के आयात/निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके।

उत्पाद शुल्क

उत्पाद शुल्क वे अप्रत्यक्ष कर हैं, जो घरेलू उपयोग हेतु भारत में निर्मित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। सीमा शुल्क की भाँति उत्पाद शुल्क के संबंध में भी ऐसे अनेक नियम हैं, जो सरकार के विवेक के अनुसार बदलते रहते हैं।

विक्रय कर

विक्रय कर सरकार द्वारा भारतीय बाजार में उत्पादों की बिक्री एवं खरीद पर लगाया जाता है। आप बाजार से जो कुछ भी खरीदते हैं, ग्राहक के रूप में आप उस पर विक्रय कर देते हैं।

मूल्य योजित कर

मूल्य योजित कर (वीएटी), उन वस्तुओं के अलावा जो शून्य दर की (जैसे खाना और अनिवार्य दवाएं) हैं या अन्य प्रकार से कर मुक्त हैं, घरेलू उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। यह कर कच्चे माल से लेकर बिक्री की अंतिम स्थिति तक प्रत्येक चरण में की गई मूल्य वृद्धि के आधार पर, उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में लगाया जाता है। उससे दोहरा कर लगाने की संभावना नहीं रहती है।

कर भुगतान करने के प्रभाव क्या हैं ?

सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है और करों की दरों में परिवर्तन भी करती रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कर का भार व्यक्तियों में या कर योग्य कार्यकलापों में लगे समूहों में बँट जाए या संसाधनों का जनता में, व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों में पुनर्वितरण हो सके। करों से करदाताओं की आय कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कर दाताओं के पास वैयक्तिक वस्तुओं और सेवाओं, बचत और निवेश के लिए कम धन रह जाता है। सरकार जितना अधिक सेवाएं उपलब्ध कराएगी, अधिक कर दाताओं को उसके लिए कर देना पड़ेगा। जब भी नये सरकारी सामान एवं सेवाओं के लिए प्रस्ताव किए जाते हैं, जिन पर नए करों की अपेक्षा है तो कर दाताओं को यह निर्णय अवश्य लेना चाहिए क्या ये फायदे आय में कमी करने के योग्य हैं।

हम कर क्यों देते हैं ?

देश के सभी जिम्मेदार नागरिकों द्वारा करों का भुगतान किया जाता है। कराधान सरकार के लिए आय का स्रोत होते हैं और इस धन का उपयोग पूरे देश का विकास करने जैसे सड़कों, बुनियादी ढाँचे और शिक्षण संस्थाओं का विकास के लिए किया जाता है। यद्यपि हमारे द्वारा अदा किए गए करों से हमें कोई प्रत्यक्ष फायदा नहीं होता है फिर भी इस धन का हमारे लिए प्रयोग होता है।

अभ्यास

1) विक्रय कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। (सच या झूठ).....

2) सीमा शुल्क भारत में आयातित या भारत से निर्यात हुए सामान पर लगाया जाने वाला कर है।(सच / झूठ)....

3) आय कर क्या है ?

.....

4) ..... कर स्थानीय सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है।

उलझ–पुलझ का समय

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
रक	सरकार द्वारा जनता पर लगाया गया अनिवार्य अंशदान	
रक त्यक्षप्र	प्रत्यक्ष रूप से सरकार को दिया गया कर	
ताक्भोउप	व्यक्ति, जो वैयकतिक उपयोग हेतु वस्तुएं या सेवाओं का क्रय करता है।	
वस्जरा	व्यापारिक कार्य कलापों से व्यापार में लाई गई धन राशि	

मनोविनोद

1) ..... भवनों या भूमि पर लगाया जाने वाला कर है।

क) आय कर ख) गृह कर

ग) विक्रय कर घ) मूल्य योजित कर

2) ..... एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में/से आयत्ति/निर्यात्ति वस्तुओं पर लगाया जाता है।

क) आय कर ख) गृह कर

ग) विक्रय कर घ) सीमा शुल्क

3) ..... घरेलू उपयोग हेतु भारत में निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है।

क) आय कर ख) गृह कर

ग) विक्रय कर घ) सीमा शुल्क

4) भारतीय बाजार में उत्पादों की बिक्री एवं खरीद पर लगाया जाता है। एटीएम कार्ड रखने के क्या फायदे हैं ?

क) आय कर ख) गृह कर

ग) विक्रय कर घ) सीमा शुल्क

कर देने में मुझे गर्व है।

विषय : भूगोल
कक्षा : आठ
सत्र : 1

भागः 1 धन अंदर एवं धन बाहर

चेक के प्रकार के संबंध में कुछ शब्द

चेक को जमाकर्ता द्वारा अपने बैंक को दिए हुए एक लिखित आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें एक निर्दिष्ट पक्ष को या उसके आदेशानुसार उस चेक के धारक को मांग करने पर एक विशिष्ट धन राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। वह व्यक्ति, जो चेक पर हस्ताक्षर करता है अर्थात् जो चेक आहरित करता है वह आहर्ता या आहरणकर्ता, वह बैंक, जिसे आदेश दिया जाता है, आदेशिती और वह व्यक्ति या संस्था, जिसे धन राशि का भुगतान किया जाना है, उसे आदाता कहा जाता है। चेक, बैंक के उक्त ग्राहक का बिना शर्त का आदेश होता है। यह किसी निश्चित बैंक पर लिखित रूप में आहरित (ड्रॉ) किया जाता है। मांग किए जाने पर बैंकर को सदैव इसका भुगतान करना होता है। चेक की राशि किसी निश्चित व्यक्ति को या धारक को देय होती है।

चेकों के प्रकार

चेक विभिन्न प्रकार के होते हैं:

धारक चेक

जब चेक के ऊपर लिखा हुआ ''या धारक'' शब्द को काटा नहीं जाए तो चेक को धारक चेक कहा जाता है। धारक चेक का भुगतान चेक में निर्दिष्ट व्यक्ति अथवा उस व्यक्ति को किया जाता है, जो चेक को भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के चेक जोखिम भरे होते हैं क्योंकि यदि वे खो गए तो, जिसे भी वह मिल जाते हैं, वह उन्हें बैंक में प्रस्तुत करके बैंक से भुगतान प्राप्त कर सकता है।

आदेश चेक

आदेश चेक वह चेक है, जिसका भुगतान इस प्रकार देय हो या किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार देय हो कि चेक में, '' हस्तांतरण मना है'' या ''यह हस्तांतरणीय नहीं है'' शब्द नहीं हों।

अरेखित चेक

जब चेक क्रॉस नहीं किया गया हो तो उसे ''खुला चेक'' या ''अरेखित चेक'' कहा जाता है। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक के काउण्टर पर किया जा सकता है। एक अरेखित चेक धारक चेक हो सकता है और आदेश चेक भी।

रेखांकित चेक

किसी चेक को रेखांकित करने का या क्रॉस करने का अर्थ यह है कि चेक पर दो समांतर रेखाएं खींच दी गई हों, जिनके बीच में ''एण्ड कं'' या ''खाता देय'' या ''परक्राम्य नहीं'' (नॉट नेगोशिएबल) लिखा हो या न लिखा हो। क्रॉस किए हुए चेक या रेखांकित चेक का बैंक के काउण्टमर पर भुगतान नहीं प्राप्त' किया जा सकता है। इसमें लिखी राशि केवल आदाता के खाते में जमा की जा सकती है।

पूर्वदिनांकित चेक

यदि किसी चेक पर, उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व की तारीख लिखी हो तो उक्त' चेक को पूर्व दिनांकित चेक कहा जाएगा। इस प्रकार का चेक, चेक की तारीख से तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा।

उत्तर दिनांकित चेक

यदि चेक पर भविष्य की तारीख अंकित है अर्थात् वह तारीख कुछ समय के बाद आएगी तो इस प्रकार का चेक उत्तर दिनांकित चेक कहलाता है। उत्तर दिनांकित चेक का भुगतान, चेक की तारीख से पहले की तारीख में नहीं किया जाएगा।

गतावधि चेक

वह चेक, जो उस पर अंकित तारीख से तीन महीने की अवधि के बाद भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाए, गतावधि चेक कहलाता है। बैंक द्वारा गतावधि चेक का भुगतान नहीं किया जाता है।

कार्य–कलाप

1) निम्नलिखित सूचना का प्रयोग करते हुए नीचे प्रस्तुत भरें:

- आज की तारीख
- अदाता या उस व्यक्ति का नाम, जिसे इसका भुगतान किया जाएगा
- अंकों में रु.15,000 की राशि भरें
- चेक पर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें
- बैंक खाता संख्या और चेक संख्या की पहचान करें। इसे गोल घेरे में दिखाएं।

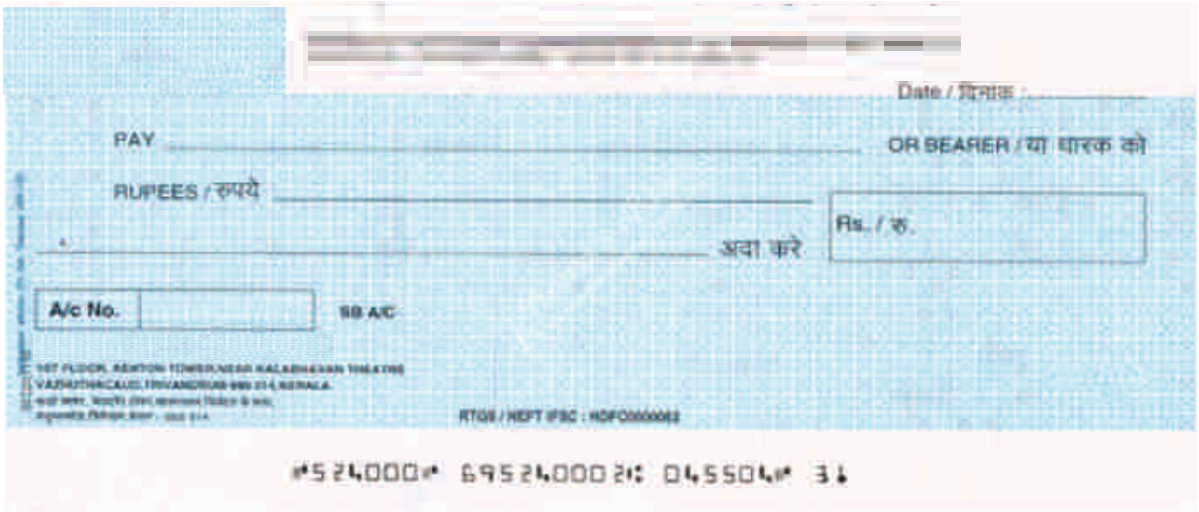

2) क्या आप चेक का प्रयोग करने के कुछ फायदे बता सकते हैं ?

_____

_____

3) नकदी भुगतान के साथ–साथ लोग वस्तुओं की खरीद का और किस–किस तरह भुगतान कर सकते हैं ?

_____

_____

भागः 2 मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश

मांग ड्राफ्ट, व्यक्तियों द्वारा भुगतान करने या धन अंतरण हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक लिखत या इंस्ट्रूमेंट है। यह किसी बैंक की शाखा द्वारा जारी किया जाता है और उसी बैंक की दूसरी शाखा पर देय होता है। मांग ड्राफ्ट या डीडी नकद भुगतान करके या बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करके तैयार किया जाता है। वह व्यक्ति, जो धन भेजना चाहता है, बैंक में नकदी जमा करता है या जारीकर्ता बैंक के नाम चेक जारी करता है और वह बैंक उसे मांग ड्राफ्ट (डीडी) जारी कर देता है। यह डीडी उस व्यक्ति को दे दिया या भेज दिया जाता है, जिसे धन राशि प्राप्त करनी है।

आदाता अर्थात् डीडी की धन राशि प्राप्त करने वाला व्यक्ति डीडी को उस शाखा/बैंक को दे देता है, जहाँ उसका बैंक खाता है और भुगतान प्राप्त कर लेता है। मांग ड्राफ्ट या डीडी तीन महीने की अवधि के लिए वैध होता है। सामान्यतः बैंक डीडी जारी करने के लिए कुछ कमीशन लेते हैं। ग्राहक को डीडी की राशि कमीशन सेवा कर के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। यदि डीडी नकद राशि का भुगतान करके किया जा रहा हो तो कुल राशि (कमीशन तथा सेवा कर मिला कर) रु.49,999.00 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भुगतान आदेश या बैंकर चेक, मांग ड्राफ्ट के समान ही है परंतु भुगतान आदेश या बैंकर चेक शहर के अंदर ही भुगतान के लिए जारी किए जाते हैं। आमतौर पर ये तीन महीने की अवधि के लिए वैध होते हैं। भुगतान आदेश या बैंकर चेक जारी करने के लिए बैंक, कमीशन ले सकते हैं।

मांग ड्राफ्ट के लेन–देन में दो पक्ष शामिल होते हैं जैसे (क) आहर्ता अर्थात् जारी कर्ता बैंक और (ख) आदाता, जोकि हिताधिकारी (बेनीफिसियरी) है। मांग ड्राफ्ट का मुख्य प्रयोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन का अंतरण करना या आदाता को भुगतान की गारंटी की निश्चितता प्रदान करना है। मांग ड्राफ्ट जारी करने के लिए बैंक कुछ नाम मात्र का कमीशन लेता है।

मांग ड्राफ्ट, चेक की तुलना में भुगतान का अधिक सुरक्षित और निश्चित तरीका है। चेक के मामले में आहर्ता– एक व्यक्ति होता है और यदि आहर्ता के खाते में निधियाँ अपर्याप्त हुईं तो आदेशिती बैंक चेक को अनादरित (डिसऑनर) कर सकता है। परंतु मांग ड्राफ्ट (डीडी) के मामले में चूँकि आहर्ता एक बैंक होता है इसलिए उसका भुगतान निश्चित होता है और उसे अनादरित (डिसऑनर) नहीं किया जा सकता है।

मांग ड्राफ्ट के आवेदक को एक आवेदन पर्ची भरनी होती है, जिसमें आवेदक को डीडी की राशि, आदाता का नाम, जारी कर्ता शाखा, वह स्थान, जहाँ पर डीडी की राशि का भुगतान किया जाना है, उसका नाम, हस्ताक्षर और खाता संख्या का उल्लेख करना होता है।

डीडी के प्रयोग करने के फायदे

- चोरी हो जाने और किसी अन्य द्वारा प्रयोग की गुंजाइश नहीं।
- वित्तीय प्रणाली में परिचलन में नकली नोटों की कोई संभावना नहीं।
- केवल उसी व्यक्ति द्वारा भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, जिसके नाम वह जारी किया गया है।
- कूरियर सेवा या डाक से सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है।
- आसानी से निरस्त किया जा सकता है।
- भेजने वाले की आसानी से पहचान हो सकती है।

मांग ड्राफ्ट भेजने हेतु अपेक्षित ब्योरा

- किस प्रकार का डीडी चाहिए अर्थात् रेखांकित या अरेखांकित
- आप डीडी के लिए भुगतान कैसे करेंगे, वह तरीका अर्थात् नकद या अपना खाता नाम करके
- उस स्थान का नाम, जहाँ धन का भुगतान किया जाना है
- प्राप्तकर्ता का नाम
- राशि

अभ्यास

1. मांग ड्राफ्ट क्या है ? आपसे क्या सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा है ?

_____

_____

2. आप मांग ड्राफ्ट का ब्योरा कैसे पता लगाएंगे ?

_____

_____

3. मांग ड्राफ्ट संख्या क्या है ?

_____

_____

4. एक चेक और एक मांग ड्राफ्ट में क्या अंतर है ?

_____

_____

5. चेक की तुलना में मांग ड्राफ्ट के क्या फायदें हैं ?

_____

_____

6. नकद भुगतान करके कोई मांग ड्राफ्ट से अधिकतम कितनी धन राशि भेज सकता है ?

_____

_____

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
कचे	वह दस्तावेज, जो किसी बैंक खाते धन भुगतान का आदेश देता है।	
तखारेकि कचे	चेक, जिसमें भुगतान करने के विशिष्ट तरीके का उल्लेख करने के लिए चिह्नित किया गया हो	
कधार कचे	वह चेक, जिसका चेक धारक भुगतान ले सकता है	

1. जब चेक के ऊपर ''या धारक'' शब्द लिखे/मुद्रित हों तो चेक ..... कहलाता है।

   क) धारक चेक ख) होल्ड र चेक
   ग) अरेखित चेक घ) रेखांकित चेक

2. जब चेक पर कोई लाइनें नहीं खीची गई हों तो चेक..... कहलाता है।

   क) रेखांकित चेक ख) खुला चेक
   ग) अरेखित चेक घ) होल्डर चेक

3. निम्नलिखित में से कौंन से चेक का बैंक द्वारा आदर नहीं होता है ?

   क) पूर्वदिनांकित चेक ख) उत्तर दिनांकित चेक
   ग) गतावधि चेक घ) समाप्त चेक

विषय : अंग्रेजी
कक्षा : आठ
सत्र : 1

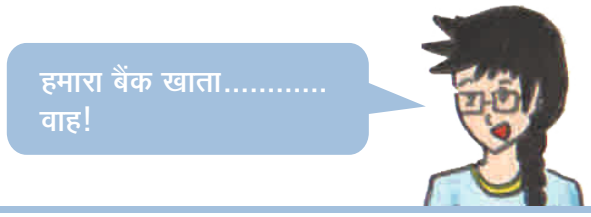

बैंक खाता कैसे खोला जाए

बैंकिंग का सामान्य परिचय

क्या आप कभी बैंक गए हैं ? आपने वहाँ काफी गतिविधियाँ देखी होंगी। कुछ लोग धनराशि जमा कर रहे (अंदर रख रहे) होंगे और कुछ अन्य, धन राशि आहरित कर रहे (बाहर निकाल रहे) होंगे। इसके अलावा आपने ब्याज, ऋण, चेक और मांग ड्रॉफ्ट (डीडी) के बारे में भी बात करते हुए सुना होगा। क्या आपने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि जो ब्याज उन्हें मिलता है, वह बहुत कम है और उनके लिए अपने घरेलू खर्च पूरे करना मुश्किल हो रहा है ? ऐसे लोगों के लिए ब्याज दैनिक खर्चों के लिए आय है।

हमें धन की आवश्यकता, कोई व्यापार शुरू करने या वस्तुएं खरीदने के लिए होती है। धन, हम, लोगों से या संगठनों या संस्थाओं से उधार ले सकते हैं। बैंक ऐसी ही एक संस्था है, जो उधार लेने वालों को उधार देती है। ये, उधार लेने वाले अर्थात उधारकर्ता, व्यक्ति हो सकते हैं या कंपनियाँ। व्यक्तियों को घर का निर्माण करने, घर, भूमि, वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, मोटर साइकिल, कार आदि खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। किसानों को भी भूमि, पशु, खाद, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लोगों को कोई व्यापार शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनियों को भी अपने व्यापार का विस्तार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को भी, उच्चतर शिक्षा अध्ययन हेतु ऋण की आवश्यकता होती है। बैंक इन सभी प्रकार के उधारकर्ताओं को धन उपलब्ध कराते हैं। परंतु क्या बैंक ऐसे ही मुफ्त में धन दे सकते हैं ? जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करने, अपने कर्मचारियों को वेतन देने, भवन के लिए किराया, बिजली का बिल भुगतान करने के लिए, कंप्यूटर खरीदने आदि के रूप में बैंकों के भी खर्च होते हैं। ऋण पर ब्याज वह अतिरिक्त प्रभार या धन का प्रयोग करने की शुल्क है, जो बैंक, उधारकर्ताओं से लेते हैं। इस अतिरिक्त प्रभार से बैंकों के खर्च पूरे किए जाते हैं और कुछ लाभ भी कमाया जाता है।

उधारकताओं को देने के लिए बैंक धन कैसे प्राप्ते करते हैं ?

बैंक, उन जमाकर्ताओं से धन संग्रह करते हैं, जिनके पास बचत के रूप में अतिरिक्त धनराशि होती है। क्या ये जमाकर्ता बैंकों को मुफ्त में धन दे देंगे ? जमाकर्ताओं को भी कुछ (इन्सेंटिव) की आवश्यकता होती है ताकि वे अपना धन बैंकों में रख सकें। अपना धन बैंक में रखने हेतु जमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में रखे धन पर ''ब्याज'' का भुगतान किया जाता है। इस प्रकार बैंक एक ऐसा संगठन है, जो जमाकर्ताओं से धन संग्रह करता है और उधारकर्ताओं को उनके उपयोग हेतु धन देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक उन लोगों, जिनके पास अतिरिक्त धन है (जमाकर्ता) और उन लोगों के बीच, जिन्हें धन की आवश्यकता है (उधारकर्ता), एक ''मध्यस्थ'' का कार्य करता है।

बैंकों को एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने ग्राहकों के लेन–देन (धन जमा करने और धन आहरित करने) का अभिलेख रख सकें। इस कारण से प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी को बैंक में खाता खोलने की आवश्यकता होती है। जब, बैंक खाता खोला जा रहा होता है, तब कुछ दस्तावेज (पता, जन्म तिथि आदि के प्रमाण) प्रस्तुत करने के लिए कह कर बैंक व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जाँच करते हैं। जब खाता खुल जाता है तो प्रत्येक जमाकर्ता को एक अन्य संख्या प्रदान की जाती है, जिसे ''खाता संख्या,'' कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति,

खाता खोलता है तो उसे ''बचत बैंक खाता'' आबंटित किया जाता है और जब कोई कंपनी या व्यापारी खाता खोलता है तो उन्हें ''चालू खाता'' प्रदान किया जाता है। खाता धारक की आवश्यकताओं के आधार पर खातों को मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है।

बचत बैंक खाता (एस बी अकाउंट)

चालू खाता (सी ए)

आवर्ती जमा खाता (आर डी एकाउण्ट)

नियतावधि / सावधि / मियादी जमा (एफ डी) खाता

संचयी मियादी जमा खाता

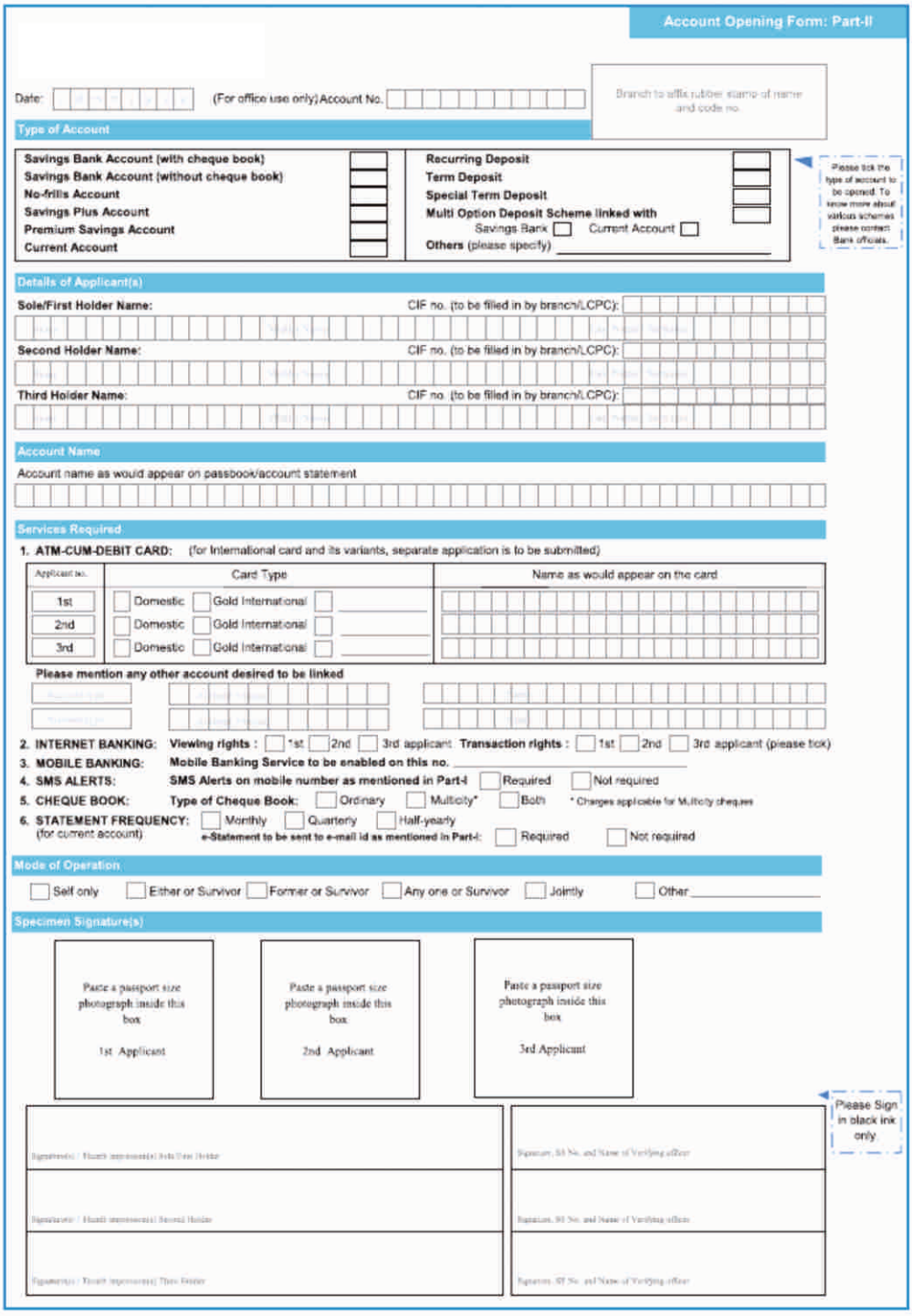

Account Opening Form: Part-II

Date: (For office use only) Account No.

Branch to affix rubber stamp of name and code no.

Type of Account

Savings Bank Account (with cheque book)	☐	Recurring Deposit	☐
Savings Bank Account (without cheque book)	☐	Term Deposit	☐
No-frills Account	☐	Special Term Deposit	☐
Savings Plus Account	☐	Multi Option Deposit Scheme linked with Savings Bank ☐ Current Account ☐	☐
Premium Savings Account	☐		
Current Account	☐	Others (please specify) _____	

Please tick the type of account to be opened. To know more about various schemes please contact Bank officials.

Details of Applicant(s)

Sole/First Holder Name: CIF no. (to be filled in by branch/LCPC):

Second Holder Name: CIF no. (to be filled in by branch/LCPC):

Third Holder Name: CIF no. (to be filled in by branch/LCPC):

Account Name

Account name as would appear on passbook/account statement

Services Required

1. ATM-CUM-DEBIT CARD: (for International card and its variants, separate application is to be submitted)

Applicant no.	Card Type	Name as would appear on the card
1st	☐ Domestic ☐ Gold International ☐ _____	
2nd	☐ Domestic ☐ Gold International ☐ _____	
3rd	☐ Domestic ☐ Gold International ☐ _____	

Please mention any other account desired to be linked

2. INTERNET BANKING: Viewing rights : ☐ 1st ☐ 2nd ☐ 3rd applicant Transaction rights : ☐ 1st ☐ 2nd ☐ 3rd applicant (please tick)
3. MOBILE BANKING: Mobile Banking Service to be enabled on this no. _____
4. SMS ALERTS: SMS Alerts on mobile number as mentioned in Part-I ☐ Required ☐ Not required
5. CHEQUE BOOK: Type of Cheque Book: ☐ Ordinary ☐ Multicity* ☐ Both * Charges applicable for Multicity cheques
6. STATEMENT FREQUENCY: (for current account) ☐ Monthly ☐ Quarterly ☐ Half-yearly
   e-Statement to be sent to e-mail id as mentioned in Part-I: ☐ Required ☐ Not required

Mode of Operation

☐ Self only ☐ Either or Survivor ☐ Former or Survivor ☐ Any one or Survivor ☐ Jointly ☐ Other _____

Specimen Signature(s)

Paste a passport size photograph inside this box
1st Applicant

Paste a passport size photograph inside this box
2nd Applicant

Paste a passport size photograph inside this box
3rd Applicant

Please Sign in black ink only

खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की अपेक्षा होती है। आइए ! समझने का प्रयास करें।

खाता खोलना

लगभग सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए प्रयुक्त क्रियाविधि और फॉर्म लगभग एक समान होते हैं। बैंक खाता खोलने के लिए हमें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

- पते का प्रमाणः टेलीफोन बिल, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट, बिजली का बिल या आधार कार्ड
- फोटो ग्राफः दो
- न्यूनतम शेष धन राशिः बैंकों के प्रकार पर निर्भर करते हुए न्यूनतम शेष धन राशि अलग–अलग बैंकों में अलग–अलग होती है। बैंक नो फ्रिल या शून्य शेष राशि खाते भी खोलते हें, जिसमें न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा नहीं की जाती है।
- फॉर्म में उचित स्थान पर उस व्यक्ति की फोटो चिपकाई जाती है, जिसका खाता खोला जा रहा होता है। फोटो से खाता धारक की पहचान में मदद मिलती है।
- बैंक अपने पास एक कार्ड रखता है, जिसमें खाताधारक के दो नमूना (सेंपल) हस्ताक्षर होते हैं। सामान्यतया बैंक हस्ताक्षर को स्कैन कर लेते हैं और कंप्यूटर में सहेज कर रखते हैं।

बच्चों के लिए खाते का सामान्य विशेषताएं :

- कोई संरक्षक या माता–पिता किसी अवयस्क के लिए खाता खोल सकता है। यह खाता या तो संयुक्त खाते के रूप में रखा जा सकता है या फिर स्वतंत्र खाते के रूप में। स्वतंत्र खाते के रूप में खाता खोलने के लिए अवयस्क खाता धारक को दस वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए।
- संरक्षक या माता–पिता का उस बैंक में एक खाता होना चाहिए, जिसमें वे अवयस्क के लिए खाता खोलना चाहते हैं।
- माता–पिता या संरक्षक नियमित रूप से बैंक विवरण प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे माता–पिता या संरक्षक बच्चे के खाते की निगरानी कर सकते हैं।
- माता–पिता या संरक्षक को यह भी विकल्प उपलब्ध है कि वे बैंक को यह अनुदेश दें सके कि नियमित रूप से एक विशिष्ट धन राशि बच्चे के खाते में अंतरित की जा जाए।
- जो बैंक अवयस्कों के लिए खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं, वे बचत बैंक खाते की सभी मूलभूत सुविधाएं भी देते हैं। इसमें डेबिट कार्ड, पासबुक प्रदान करने आदि शामिल हैं। कुछ बैंक अवयस्कों के लिए चेक–पुस्तिका (चेक बुक) भी प्रदान करते हैं।
- उक्त खाते से धन का उपयोग और खाते में जमा की जाने वाली न्यूनतम राशि, अलग–अलग बैंकों द्वारा नियत किए गए आधारभूत नियमों के अनुसार होंगी। यदि संरक्षक या माता–पिता अवयस्क के खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने में असमर्थ रहेंगे तो उन पर अर्थदण्ड (पेनाल्टी) लगाया जाएगा।
- कुछ बैंक माता–पिता या संरक्षक के जीवन के लिए अतिरिक्त जीवन बीमा कवच प्रदान करते हैं। यहाँ पर माता–पिता या संरक्षक की मृत्यु पर (कुछ विशेष परिस्थितियों में) अवयस्क को एक निश्चित न्यूनतम राशि देने का आश्वासन दिया जाता है।
- अवयस्कों के लिए बैंकों द्वारा प्रस्तावित अनेक जमा योजनाएं हैं।
- 10 वर्ष से अधिक आयु के अवयस्क, यदि चाहें तो उन्हें बचत बैंक खाता खोलने और उसके स्वतंत्र रूप में परिचालन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। वयस्क हो जाने पर भूतपूर्व तत्कोलीन अवयस्क को अपने खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाता नैसर्गिक संरक्षक / कानूनी संरक्षक द्वारा

परिचालित किया जाता हो तो बैंक द्वारा नए परिचालन अनुदेश प्राप्त किए जाने और सभी परिचालनगत प्रयोजनों के लिए अभिलेख में रखे जाने चाहिए।

- एक बार जब खाता धारक बच्चा (अवयस्क) वयस्क हो जाता है तो उक्त खाते को नियमित खाता माना जाएगा और बैंक वयस्क का फोटो और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

बच्चे के बैंक खाते के लिए अपेक्षित दस्तावेज :

एक अवयस्क का बैंक में खाता खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मापदण्डों का पालन किया जाएगा।

- अवयस्क की आयु और पते के प्रमाण का दस्तावेज।
- माता–पिता/संरक्षक और आवेदक अवयस्क के बीच संबंध के प्रमाण का दस्तावेज
- अवयस्क की पहचान का प्रमाण
- अवयस्क का फोटो

यदि माता–पिता/संरक्षक इस खाते में अवयस्क को सक्रिय रूप से शामिल कर लेते हैं तो इससे अवयस्क को धन का प्रबंध करना सीखने में मदद मिलती है क्योंकि खाते के परिचालन में न्यूनतम मासिक/तिमाही शेष राशि की आवश्यकता होती है और उक्त शेष राशि बनाए न रखने पर अर्थदण्ड की भी व्यवस्था है इस प्रकार, इससे अवयस्क के धन प्रबंध कौशल में धीरे–धीरे सुधार आता है। इसके अलावा खाता परिचालन से बच्चों के लिए नया मार्ग प्रशस्त होता है, जिसमें वयस्क होते–होते वे बैंकिंग की जानकारी से युक्त हो जाते हैं।

अभ्यास

1) बचत बैंक खाता खोलने के लिए क्या–क्या अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं ?

_____

_____

2) आपके बैंक द्वारा बचत बैंक खाते पर क्या ब्याज दर का भुगतान किया जाता है ?

_____

3) यह मालूम करें कि आपकी पसंद के बैंक द्वारा और क्या फायदे प्रदान किए जाते हैं।

_____

_____

4) अपना खाता खोलने के लिए दिखावटी (डमी) फॉर्म भरें।

_____

_____

5) बैंक में खाता कौन खोल सकता है ?

_____

6) खाता खोलने के लिए किन–किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं ?

_____

_____

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
लूचा ताखा	मुख्य तया प्रतिदिन बहुत अधिक ले–देनों के लिए प्रयुक्ति खाता	
आर्तीव माज ताखा	मुख्यतया लघु राशियों की बचत करने और उच्च ब्याज दर प्राप्त करने के लिए खोला गया खाता	
अधितनियव माखाजता	इस खाते में जमाराशि को एक निश्चित अवधि से पहले आहरित नहीं किया जा सकता है।	

1) खाता खोलने के लिए नाम और पता निम्नलिखित प्रकार लिखना होगा:

क) चालू तरह से ख) छोटे–छोटे अक्षरों में
ग) बड़े और स्पष्ट अक्षरों में घ) उपर्युक्त में से किसी तरह

2) जमा की जाने वाली राशि ..... द्वारा भरी जानी चाहिए:

क) स्वागती (रिसेप्सनिस्ट) ख) आवेदक
ग) प्रबंधक घ) खजान्ची

3) फॉर्म में खाता संख्या ..... द्वारा भरी जानी चाहिए:

क) आवेदक ख) बैंक अधिकारी
ग) खजान्ची घ) स्वागती (रिसेप्सनिस्ट)

4) ग्राहक द्वारा किस प्रकार का खाता खोला जाना है, यह ..... तय करेगा:

क) खजान्ची ख) ग्राहक
ग) बैंक प्रबंधक घ) स्वागती (रिसेप्सनिस्ट)

5) आपको अपना धन बैंक में रखने के लिए ..... की आवश्यकता होगी:

क) किसी से पूछने ख) बैंक में प्रवेश करने
ग) बैंक में मित्र / रिस्तेदार रखने घ) बैंक में खाता खोलने

विषय : अंग्रेजी
कक्षा : आठ
सत्र : 2

बीमाः एक कहानी

प्रकृति के रौद्र रूप के लिए बीमा कराने वाला एक गाँव

सभी गाँव वाले चबूतरे के चारों ओर एकत्र हुए। मुखिया जी एक काम चलाऊ मंच पर बैठे। गाँव के किसानों को हर साल गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक साल फसल कटाई के समय अचानक मूसलाधर बरसात से पूरी फसल नष्ट हो गई। दूसरे साल बाढ़ आ गई थी। पास की नदी में अचानक उफान आया और अनेक घर जल मग्न हो गए और बहुत से पशु मर गए और ट्रैक्टर, कृषि पंप सेट आदि क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अगले साल भयंकर सूखा पड़ा। हर एक व्यक्ति के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। क्योंकि हर कोई कम से कम इस साल ऐसे नुकसानों को कम करने का कोई रास्ता निकालना चाहता था। गाँव का एकमात्र स्नातक आज शहर से आया था और सभी लोग उसकी बात सुनने के लिए एकत्र हुए थे कि शायद वह कोई समाधान बता सके। श्री स्नातक ने कहा, ''हाँ, निश्चित रूप से, एक समूह के रूप में हम बीमा के सहारे अपनी रक्षा कर सकते हैं। आप सभी को, गाँव के सभी परिवारों को शामिल करते हुए समूह बीमा कराने की जरूरत है। आप अपने घरों, पैडल साइकलों, पशुओं, फसलों तथा बीमा के अंतर्गत आने वाली अन्य आस्तियों का बीमा करा सकते हैं।'' ''एक अकेले व्यक्ति के बीमा से समूह बीमा कैसे बेहतर है? ''एक सज्जन ने पूछा। ''समूह बीमा एक ऐसे समूह का किया जाता है, जिसमें शामिल व्यक्तियों में समानता होती है। उदाहरण के लिए हम सभी इस ग्राम पंचायत का एक भाग हैं। इसलिए ग्राम पंचायत गाँव के सभी ग्राम–वासियों को शामिल करते हुए एक समूह बीमा पॉलिसी ले सकती है। इसके अलावा इससे एक ही प्रकार के जोखिम के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ जारी करने का प्रशासनिक कार्य बच जाता है इसलिए व्यक्तिगत पॉलिसी की तुलना में यह सस्ती है।'' ''यह बहुत अच्छा विचार है।'' प्रत्येक ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ''क्या हम बीमा के अंतर्गत अपने परिवारों के लिए स्वास्थ्य उपचार करा सकते हैं ?'' कोने में बैठी हुई एक महिला ने पूछा। ''निस्संदेह'' श्री स्नातक ने कहा। ''परंतु उसके लिए आपको एक समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदनी होगी। एक और बात जो आप जानना चाहेंगे वह स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत बिना नकदी के ही इलाज कराने की भी सुविधा है। आजकल अधिकांश बीमा कंपनियों का अस्पतालों के तंत्र के साथ समझौता होता है और अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में दावे की राशि का सीधे इन अस्पतालों को भुगतान कर दिया जाता है, जिससे अस्पताल आपसे धन न लें। इसका अर्थ यह है कि बीमा की पहचान के सबूत के साथ, आप अस्पताल–तंत्र के अस्पताल में पहुँच जाइए और वहाँ बिना नकदी की सुविधा के अंतर्गत पॉलिसी के अनुसार मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल उपयोग कर सकते हैं।'' मुखिया जी अपनी कुर्सी से उठे और उन्हों ने गाँव वालों को बताया कि अब हम समूह बीमा के अंतर्गत पूरे गाँव का बीमा कराएंगे। हर व्यक्ति ने इस निर्णय का स्वागत किया।

1) गाँव वालों के लिए एक अकेले व्यक्ति के बीमा से समूह बीमा इसलिए बेहतर है क्योंकि:

क) इससे प्रशासनिक कार्य बचता है ख) यह सस्ता है
ग) उनका एक समान जोखिम है घ) उपर्युक्त सभी

2) मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल तंत्र के अस्पताल में किस वस्तु/व्यक्ति की आवश्यकता है ?

क) बीमा पॉलिसी ख) गवाह
ग) पहचान का सबूत घ) पॉलिसी कार्ड

विषय : गणित
कक्षा : आठ
सत्र : 1

वीएटी और कर में क्या फर्क है ?

श्री राघवन घर वापस आ गए थे। वह इस बात से खुश थे कि उनके बच्चे कर के बारे में जानने के बहुत इच्छुक थे। उन्होने स्नेह और स्वप्निल को बताया यद्यपि वर्ष भर आय कर का भुगतान किया जाता है फिर भी हम वीएटी और बिक्री कर या विक्रय कर के रूप में नियमित रूप से सरकार को कर देते हैं। स्वप्निल ने अपने पापा से बिक्री कर और वीएटी में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा क्योंकि यह उसके अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में था। श्री राघवन ने स्पष्ट किया कि वीएटी अर्थात् मूल्य योजित कर और बिक्री कर उपभोक्ता कर के दो अलग–अलग स्वरूप हैं। परंतु जिन रूपों में ये कर उपभोक्ता पर लगाए जाते हैं, उन रूपों में अंतर है।

मूल्य योजित कर (वीएटी)	विक्रय या बिक्री कर
यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो उत्पादन के विभिन्न चरणों में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है।	जब उत्पादों या सेवाओं की खरीद की जाती है तो खरीद के कुल मूल्य पर यह कर लगाया जाता है। विक्रय कर खरीद के समय विक्रेता द्वारा उपभोक्ता से लिया जाता है।
वीएटी उत्पादनकर्ता द्वारा सीधे सरकार को भुगतान कर दिया जाता है और उस कर को वस्तु के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार लागत मूल्य उपभोक्ता को अंतरित कर दिया जाता है।	विक्रय कर की गणना करना आसान है क्योंकि यह अंतिम मूल्य पर लगाया जाता है।
इसमें व्यापक और पेचीदा गणना करने की अपेक्षा होती है क्योंकि इसमें गणना के कई चरण होते हैं।	विक्रय कर की गणना करना आसान है क्योंकि यह अंतिम मूल्य पर लगाया जाता है।
वीएटी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पर लगाया जाता है।	विक्रय कर केवल अंत उपभोक्ता पर लगाया जाता है।
वीएटी घोषित वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य सरकार द्वारा लिया जाने वाला मूल्य योजित कर है।	बिक्री कर दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उत्पादन इकाइयों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है।
वीएटी का आर्थिक प्रभाव, वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य पर पड़ता है।	विक्रय कर ग्राहकों को अंतिम बिक्री पर निर्भर करता है।

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
ल्यपयो मूतगि रक	वह अप्रत्यक्ष कर, जो उत्पा दन के विभिन्न चरणों में उत्पादों या सेवाओं पर लगाया जाता है।	
ल्यमू जितयो रक	उत्पादों या सेवाओं की खरीद के कुल मूल्य पर लगाया जाने वाला कर	

1) वीएटी का पूरा नाम है:
क) वेल्युएबल अमाउण्ट ऑफ टैक्स ख) वेल्यू ऐडड टैक्स
ग) वेल्यू एफर्मेशन टैक्स घ) वेल्यू एक्टिविटी टैक्स

2) वीएटी घोषित वस्तुओं और सेवाओं पर ..... द्वारा लिया जाने वाला मूल्य योगित कर है।
क) केंद्र सरकार ख) जिला सरकार
ग) राज्य सरकार घ) स्थानीय सरकार

3) बिक्री कर ..... पर लगाया जाता है।
क) अंतिम उत्पाद ख) उत्पदन के विभिन्न चरणों में
ग) बिजली और पानी की आपूर्ति घ) कच्चे माल

4) वीएटी का आर्थक प्रभाव ..... पर पड़ता है।
क) वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य ख) सरकार द्वारा निवेशित धन
ग) दुकानदार और उत्पादक घ) ग्राहक

5) यदि हम अपने आय कर का भुगतान न करें तो
क) हमें अर्थदण्ड दिया जा सकता है ख) सरकार हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है
ग) हमें मृत्यु–दण्ड मिल सकता है घ) हमें 5 साल की कैद हो सकती है

6) अर्थदण्ड का प्रतिशत..... है।
क) रु. 1,000 प्रति असफलता ख) टैक्स कितना कम जमा किया है उस पर निर्भर करता है
ग) रु. 2,000 प्रति असफलता घ) रु. 5,000 प्रति असफलता

7) टैक्स न अदा करने की सजा ..... हो सकती है
क) जेल ख) मृत्यु–दण्ड
ग) सरकार द्वारा संपत्ति जब्त करना घ) अर्थदण्ड दिया जा सकता है

विषय : गणित
कक्षा : आठ
सत्र : 2

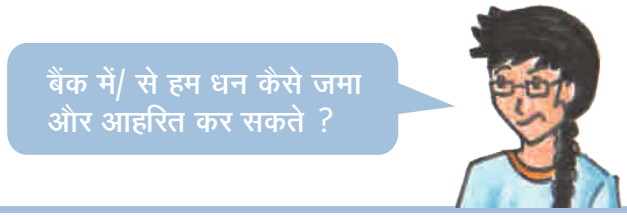

भागः 1 जमा और आहरण पर्चियाँ भरना

किसी बैंक खाते में धन जमा करने के लिए आपको अंदर भुगतान अर्थात जमा पर्ची भर कर बैंक को ब्योरा देने की आवश्यकता होती है।

उदाहरणार्थ सिंडीकेट बैंक द्वारा प्रयोग की जा रही पर्ची नीचे प्रस्तुत है:

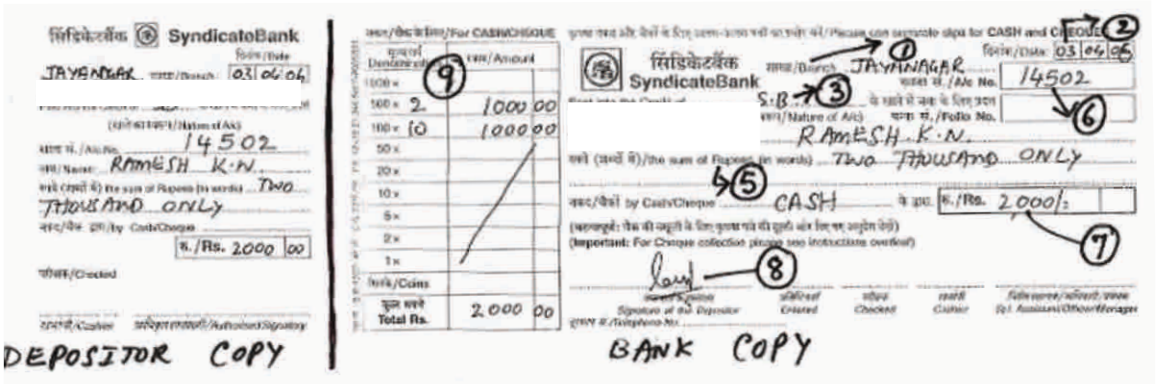

ध्यान दीजिए कि पर्ची के दो भाग हैं। पर्ची का दाहिनी ओर का हिस्सा बैंक के उपयोग के लिए है और बाईं ओर का भाग जमाकर्ता के अभिलेख के लिए है।

बैंक के उपयोग वाले हिस्से में भरे जाने वाले ब्योरे को हम पहले समझेंगे। बायीं ओर के हिस्से में अधिकांशतः वही सूचना भरी जाती है।

वृत्तर (गोल घेरे) में लिखी संख्या	ब्योरा	उपर्युक्त पर्ची में की जाने वाली प्रविष्टि
1.	बैंक की शाखा का नाम	जयनगर
2.	तारीख (जमा करने की)	03.04.06
3.	खाते में जमा हेतु किया गया भुगतान (खाते का स्वरूप)	बचत बैंक (एसबी)
4.	खाता धारक का नाम	रमेश के. एन.
5.	जमा राशि शब्दों में	दो हजार मात्र
6.	खाता संख्या	14502
7.	जमाराशि अंकों में	2,000
8.	जमा कर्ता के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
9.	नकद / चेक (जमा का स्वरूप)	नकद
10.	मूल्यवर्ग विभिन्न करेंसी नोटों की राशि का अलग–अलग ब्योरा	500 X 2 = 1,000 100 X10 = 1,000
		जोड़ : रु.2,000

सूचना : चूँकि धनराशि, जमा करने के लिए प्राधिकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए कोई भी किसी खाते में धन जमा कर सकता है।

धन आहरण

आइए भारतीय स्टेट बैंक के फॉर्म का प्रयोग कर के देखें कि बैंक से धन आहरण करने के लिए क्या भरना होता है।

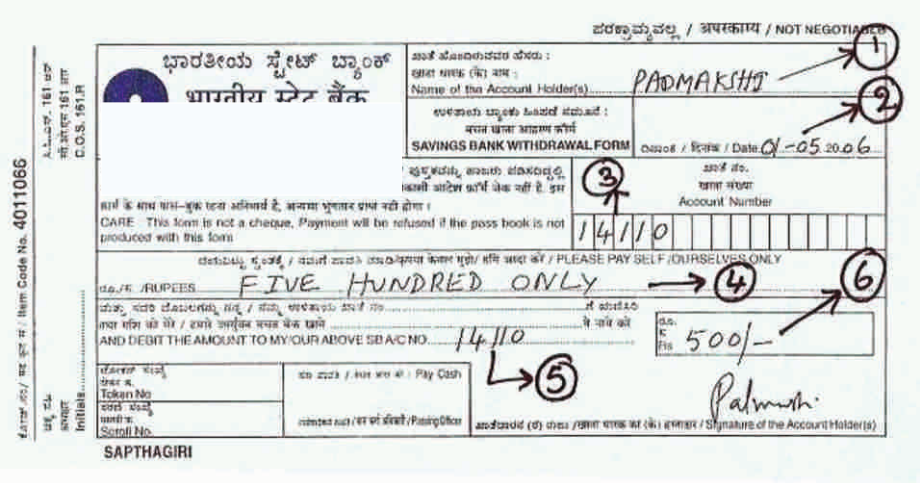

वृत्त में संख्या	ब्योरा
1	खाता धारक का नाम
2	तारीख (आहरण की)
3	बैंक में खाता संख्या
4	आहरण राशि शब्दों में
5	आहरण राशि अंकों में
6	यह राशि मेरे / हमारे बचत बैंक खाते सं. से नामे करें
7	जमाकर्ता के हस्ताक्षर

आहरण पर्ची के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध हैं। यह प्रतिबंध निम्नलिखित हैं:

1. इस पर्ची का प्रयोग केवल खाताधारक ही अपने लिए धन राशि आहरित करने (निकालने) के लिए कर सकता है।
2. इस पर्ची या फॉर्म का प्रयोग दूसरे लोगों को भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
3. खाताधारक को पासबुक प्रस्तुत करनी होती है।

भागः 2

अपने खाते का परिचालन करना

एक बैंक खाता आपको अप्रत्याशित खर्चों के लिए धन बचा कर रखने का मौका देता है। बैंक विभिन्न प्रकार के खाते जैसे बचत खाते और चालू खाते खोलने की सुविधा देता है। इससे आपको अपनी जमा राशि पर थोड़ी ब्याज अर्जित हो जाती है। इस अध्याय से आपको बैंक खाते में धन जमा करने और बैंक खाते से धन आहरित करने की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होगी।

धन जमा करना और आहरित करना (निकालना)

यदि आपका चालू खाता या बचत बैंक खाता है तो आप या तो स्वयं बैंक में जाकर धन आहरित कर सकते हैं या एटीएम का उपयोग कर सकते हैं।

धन राशि जमा करना: यदि आप अपने खाते में धन राशि जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए कम विकल्प उपलब्ध हैं। आप स्वयं जा कर या किसी अन्य व्यक्ति को बैंक शाखा में भेज कर, जमापर्ची भरने के बाद धन राशि बैंक के काउण्टर पर जमा कर सकते हैं। यदि आपको कोई चेक प्राप्त हुआ हो तो आप उसे जमा पर्ची में पूरा ब्योरा भर कर जमा पर्ची के साथ बैंक काउण्टर पर दे सकते हैं। आपका बैंक समाशोधन गृह प्रणाली के माध्यम से वह धन राशि संग्रह करके आपके खाते में जमा कर देगा। समाशोधन गृह प्रणाली वह प्रणाली है, जिसमें एक शहर के बैंक एक–दूसरे से चेकों का आदान–प्रदान करते हैं और निवल देय एवं प्राप्य राशियों की गणना करके भुगतानों का निपटान करते हैं।

आहरण करना: धन राशि आहरित करने (निकालने) के लिए आप ''नकद'' राशि प्राप्त करने के लिए चेक लिखिए, उस पर तारीख लिख कर हस्ताक्षर करें। चेक के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करें और उसे बैंक टैलर को दे दें, जो आपको नकद धन राशि दे देगा। एटीएम से धन निकालने के लिए अपना एटीएम कार्ड मशीन में लगाएं। अपनी वैयक्तिक पहचान संख्या डालें और जो नकद धन राशि चाहिए, वह स्पष्ट करें।

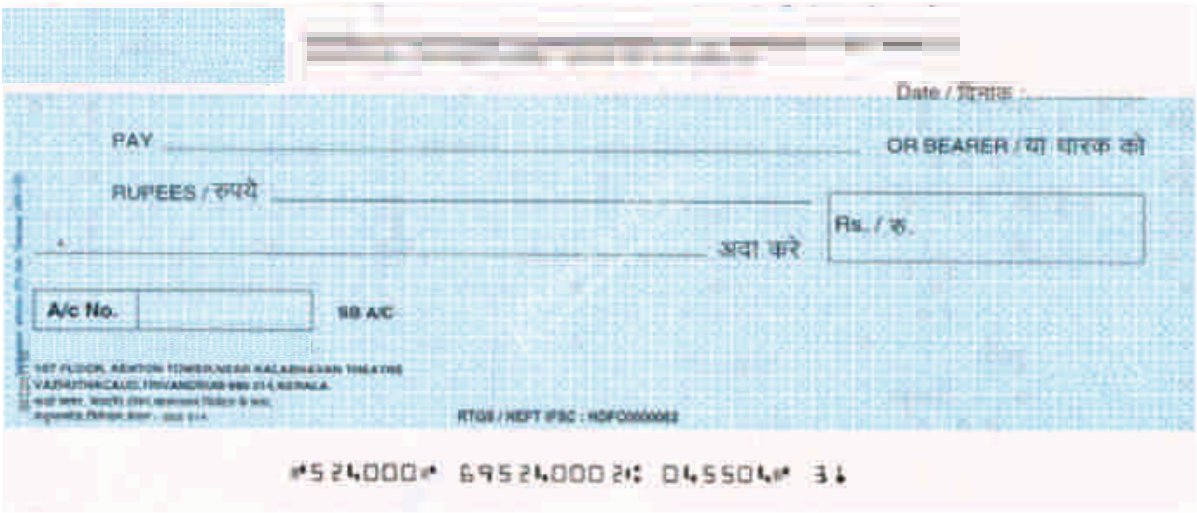

महत्वपूर्ण संदेश: बचत खाता हमें अप्रत्याशित खर्चों के लिए धन बचा कर रखने का मौका देता है। चेक एक ऐसा आदेश है, जो किसी बैंक खाते से धनराशि का भुगतान करने के लिए कहता है।

अभ्यास

1. भुगतान अंदर / जमा पर्ची क्या है और इसे भरने के लिए अपको क्या–क्या सूचना की आवश्यकता होती है?

_____

_____

2. आहरण पर्ची क्या है इसे भरने के लिए अपको क्या–क्या सूचना की आवश्यकता होती है ?

_____

_____

आइए देखें कि चेक में हमें क्या सूचना देनी होती है ताकि हम दूसरों को धन राशि का भुगतान कर सकें।

उदाहरण के रूप में हम स्टेट बैंक ऑफ मैसूर द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे चेक फॉर्म का अध्ययन करेंगे।

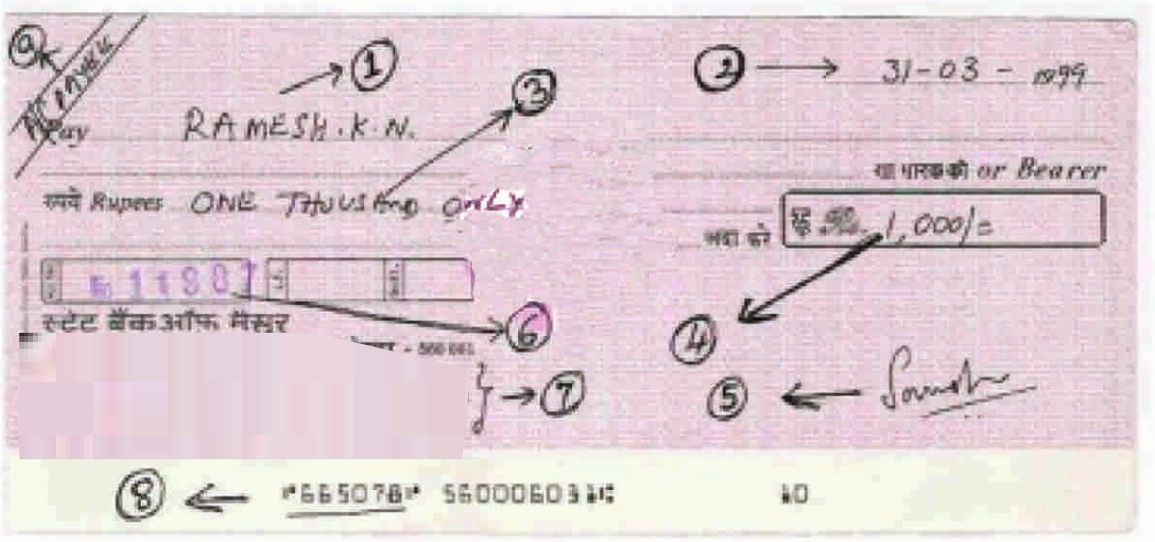

वृत्त में संख्या	ब्योरा	उपर्युक्त चेक में प्रविष्टि
1	आदाता (जिसे भुगतान किया जाना है, उस व्यक्ति का नाम)	रमेश के. एन.
2	तारीख (जिस तारीख को भुगतान किया जाना है वह तारीख	31.03.1999
3	रुपये (धन राशि, जो अदा की जानी है) शब्दों में	एक हजार मात्र
4	रुपये (धन राशि, जो अदा की जानी है) अंकों में	1,000
5	चेक जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर (यह वैसे ही होने चाहिए जैसे बैंक को दिए गए नमूना हस्ताक्षर कार्ड में हैं)
6	भुगतान की विधि	खाते में देय
7	बैंक शाखा का पता	पब्लिशक यूटिलिटी भवन शाखा, बेंगलूर 560001
8	चेक संख्या	665078

महत्वपूर्ण सूचना

- लिखे हुए शब्दों/अंकों के ऊपर लिखने (ओवरराइटिंग) की अनुमति नहीं है।
- चेक की एमआईसीआर (माइकर) पट्टी के ऊपर नहीं लिखें। चेक को खराब न करें।

पासबुक

जब बैंक में खाता खुल जाता है तो बैंक एक पासबुक देता है, जिसमें बैंक खाते के लेन–देन की सूची दर्ज की जाती है। उदाहरण के तौर पर नीचे दी हुई भारतीय स्टेट बैंक के एक खाताधारक की पासबुक प्रविष्टि पर नजर डालते हैं।

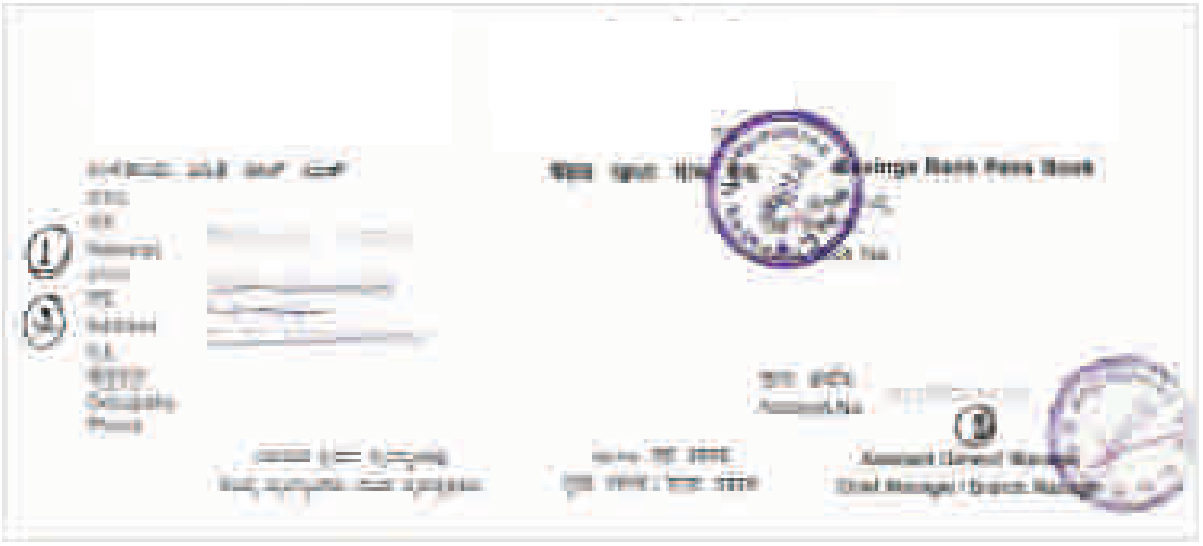

वृत्त में संख्या	ब्योरा	उपर्युक्त पासबुक में प्रविष्टि
1	खाता धारक का नाम	पद्माक्षी और वीणा
2	खाता धारक का पता	2282, द्वितीय चौराहा, के. आर. मार्ग
3	खाता संख्या	01190014110

चूँकि उक्त खाता दो नाम में हैं इसलिए यह खाता संयुक्त खाता कहलाता है। अगले और उसके बाद के पृष्ठों में खाताधारक द्वारा किए गए लेन–देनों का ब्योरा दिया होता है।

आइए देखें कि पासबुक में लेन–देनों का अभिलेख कैसे दर्ज किया जाता है।

लेन–देन की तारीख	ब्योरा	संदर्भ संख्या	निकाली/आहरित की गई राशियाँ	रखी गई/जमा की गई राशियाँ	शेष राशि
01	02	03	04	05	06
23/09/2014	खाता खुलने के समय शेष राशि	एसडी14039		500.00	500.00
03/10/97	नकद	एसडी14086		10000.00	10500.00
24/10/97	नकद			3750.00	14250.00
24/10/97	नकद	एसडी14014		10000.00	24250.00
04/11/97	अग्रहर एण्ड कं. को	वीबी5181	15000.00		9250.00
05/11/97	नकद	एसडी013014		30000.00	39250.00
06/11/97	समाशोधन के द्वारा			30000.00	69250.00

वृत्त में संख्या	ब्योरा	स्पष्टीकरण
1	लेन–देन की तारीख	वह तारीख जब धन जमा किया / निकाला गया
2	ब्योरा	खाते में धन कैसे आया और खाते से किसे दिया गया और यह कैसे निकाला गया।
3	संदर्भ संख्या	बैंक द्वारा प्रयुक्त आंतरिक संख्या या चेक संख्या या चेक
4	आहरित	खाते से आहरित की गई राशि इससे खाते में उपलब्ध धन कम हो जाता है।
5	जमा	खाते में जमा की गई धन राशि। इससे खाते में उपलब्ध धन में वृद्धि होती है।
6	शेष राशि	किसी विशेष दिन को खाते में शेष राशि

उलझे–पुलझे शब्द

उलझे–पुलझे शब्द	संकेत	हल
माज चीप	किसी खाते में धन जमा करने के लिए प्रयुक्त पर्ची	
हणरआ चीप	किसी खाते से धन निकालने के लिए प्रयुक्त पर्ची	

1) जब खाता दो नामों में खोला जाता है तो खाते को..... कहा जाता है।

क) दो खाता ख) पृथक् खाता

ग) संयुक्त खाता घ) दोहरा खाता

2) किसी खाते से धन निकालने के लिए हम ..... पर्ची भरते हैं।

क) जमा ख) आहरण

ग) पासबुक घ) चेक

3) किसी खाते में धन जमा करने के लिए हम ..... पर्ची भरते हैं।

क) जमा ख) आहरण

ग) पासबुक घ) चेक

4) ..... में खाते में किए गए लेन–देनों की सूची दर्ज होती है।

क) जमा ख) आहरण

ग) पासबुक घ) चेक

आहरण और जमा पर्ची की मदद से हम अपने खाते से/में नकदी आहरित/जमा कर सकते हैं।

राशि ! वर्ग पहेली हल करने का समय

हाँ हम मजे से हल करेंगे

वर्ग पहेली

					7 कें				
1 उ							8 चे		10 मां
		2 वा				3 क			
	9 ना				3 क				
4 प्री									
					5 बी				
		6 रा							

बाँये से दाँये

1. वह व्यक्ति, जो अपने अपने स्वयं के उपयोग के लिए वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है, उत्पादन करने या पुनर्बिक्री के लिए नहीं है।
2. ये व्यापार एवं वाणिज्य का बैंक वित्तपोषण करते हैं।
3. सरकार द्वारा व्यक्तियों पर लगाया गया प्रभार, जो सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं का भुगतान का रूप है।
4. बीमा कंपनी द्वारा बीमाकृत से बीमी कवच के लिए ली गई राशि।
5. बीमा के अंतर्गत शामिल व्यक्ति या वस्तु
6. किसी कंपनी द्वारा अपने कार्य–कलापों से व्यापार में लाई गई धन राशि

ऊपर से नीचे

3. सरकार द्वारा व्यक्तियों पर लगाया गया प्रभार, जो सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं का भुगतान का रूप है।
7. वह संगठन, जो देश की मौद्रिक और ऋण प्रणाली का नियंत्रण, विनियमन और पर्यवेक्षण करता है।
8. वह दस्तावेज, जो खाते से किसी व्यक्ति को धन राशि भुगतान का आदेश देता है।
9. पॉलिसी धारक द्वारा मृत्यु की स्थिति में मुआवजे की धन राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्ति।
10. इसे दूर बैठ कर सृजित चेक, टेलीचेक, या फोन द्वारा चेक भी कहा जाता है।

आओ और वर्ग पहेली हल करें मुनाफ़

खेल–खेल में सीखना कितना अच्छा लगता है !

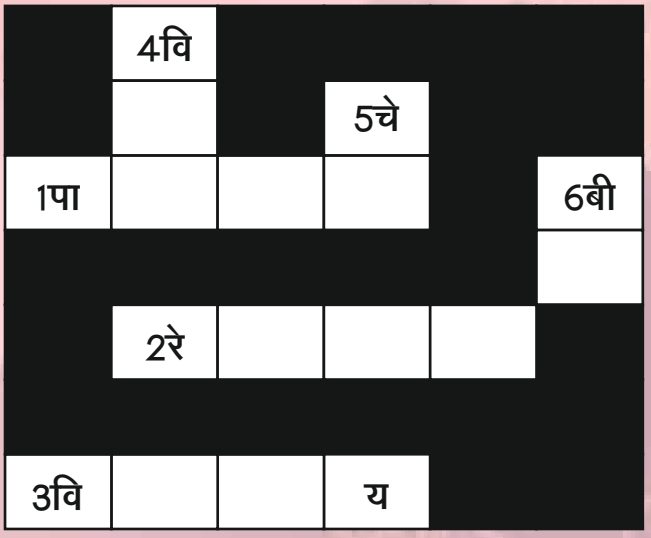

बाँये से दाँये

1. इसमें बैंक खाते के लेन–देन की सूची दर्ज की जाती है।
2. वह चेक, जिसका भुगतान बैंक के काउण्टर पर नहीं हो सकता है बल्कि इसकी धन राशि आदाता के खाते में जमा होती है।
3. ये बैंक केवल विदेशी मुद्रा का कार्य करते हैं और विदेश व्यापार का वित्तिपोषण करते हैं।

ऊपर से नीचे

4. वे बैंक, जो एक विशेष क्षेत्र जैसे निर्यात, ग्रामीण, आवास और लघु उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए हैं।
5. वह दस्तावेज, जो खाते से किसी व्यक्ति को धन राशि भुगतान का आदेश देता है।
6. बीमा कंपनी और पॉलिसी धारक के बीच एक करार।

संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर समय

1. **केवाईसी** :
2. **एमआईसीआर** :
3. **एटीएम** :
4. **आईएफएससी** :
5. **डीडी** :
6. **एफडी** :

बैंक खाता
महाराजा सवाई मानसिंह विद्यालय, जयपुर द्वारा लिपिवद्ध किया गया
चित्रांकन: माधव गुप्तात, बाल भारती विद्यालय, रोहिणी, दिल्ली
कर
तनीशा पुरी

मैडम ने हमें जो प्रकल्प (प्रोजेक्ट) दिया है, वह वास्तव में बड़ा रुचिकर है।
अब हम यह सीखेंगें कि धन कैसे जमा करें और उससे संबंधित शब्दावली भी जानेंगे।
क्या हम सब का भी खाता हो सकता है ?
हाँ, हम सब अवयस्क हैं और हमारा बच्चों का स्वतंत्र खाता हो सकता है।
और एक बार जब हम वयस्क हो जाएंगे तब यह खाता नियमित खाता हो जाएगा।
वाह, यह तो बहुत अच्छा है।
हाँ पर तुम्हें उस पर कर देना पड़ सकता है।
तो क्या मैं अपने पिगी बैंक से निकाल कर अपने बैंक खातें में धन जमा कर सकता हूँ ?
जिस प्रकार तुम सड़क और दूसरी जन सुविधाएं दूसरों के साथ मिल कर प्रयोग करते हो, उसी प्रकार आपको अपनी आय भी किसी और के साथ मिल कर प्रयोग करनी होगी।
क्यों? कर क्या है ? मैं अपनी आय किसी और को क्यों दूँ?
हाँ, सरकार करों के द्वारा धन प्राप्त करती है, जिससे वह हमारे लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है।
तुम देखते हो ! मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है।
अच्छा ! इसका अर्थ यह हुआ कि कर देकर मैं राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनूँगा।
हाँ, बिल्कुल, अब से तुम एक जिम्मेदार नागरिक होगे।

नोट :

नोट :

नोट :

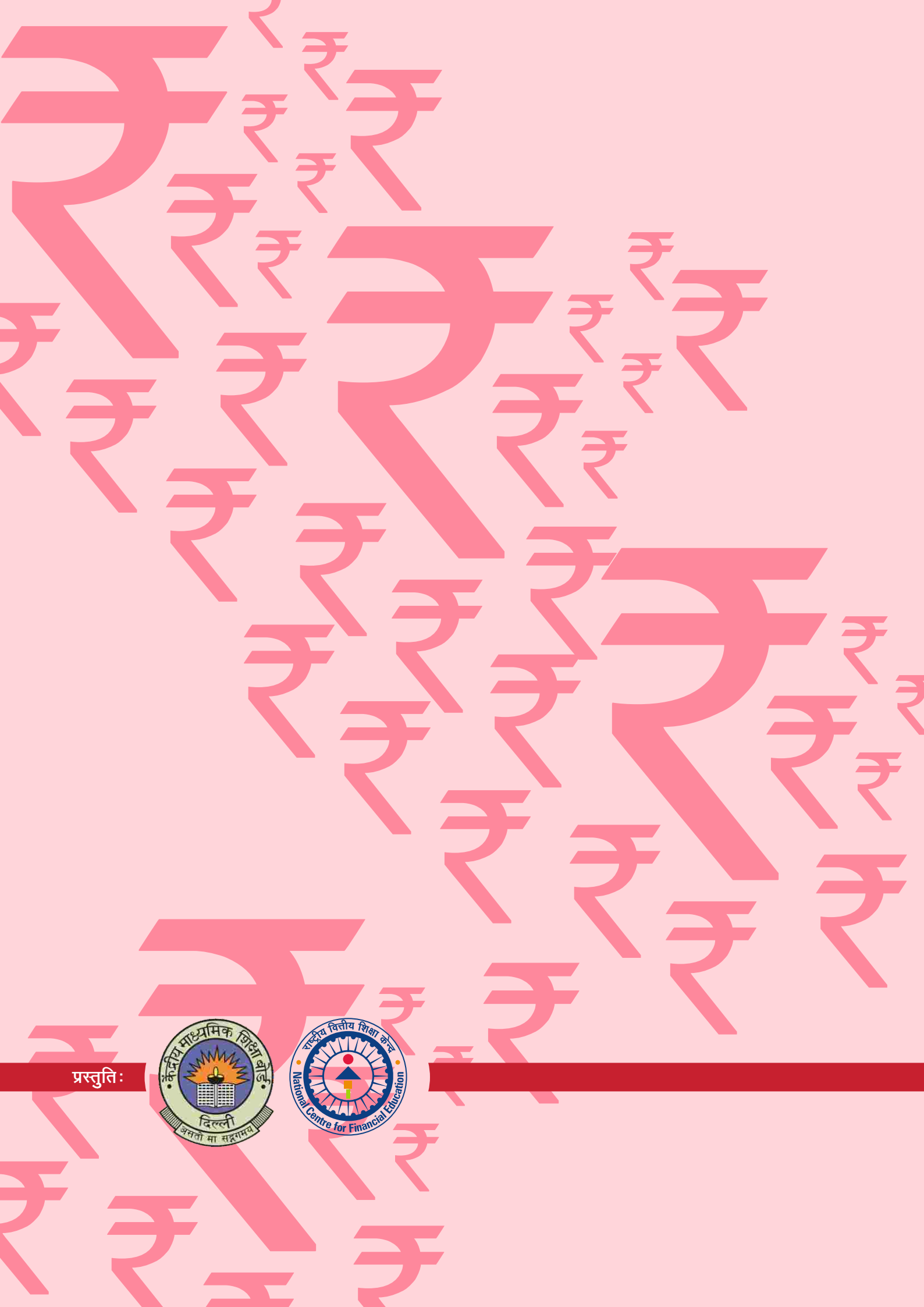

प्रस्तुति: